षष्ठम् माला, खंड I, अंक 5, बुधवार, 30 मार्च, 1977/ 9 चैत्र, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. I, No. 5, Wednesday, March 30, 1977/Chaitra 9, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

सत्यमेव जयते

[खंड I में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol. I. contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची CONTENTS

अंक 5, बुधवार, 30 मार्च, 1977/9 चैत्र, 1899 (शक)

No. 5, Wednesday, March 30, 1977/Chaitra 9, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
शपथ लेने वाले सदस्य	Members Sworn . . .	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper laid on the Table .	1
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— सरकारी मुद्रणालय, अलीपुर, कलकत्ता में दोहरे मतपत्र छापे जाने का समाचार	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance — Reported printing and numbering of duplicate Ballot papers by Government Press, Alipur, Calcutta . .	2—5
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	2—4
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan . .	2,3—4,5
सामान्य बजट, 1977—78 सामाय चर्चा और लेखानुदानों की मांगें, 1977-78	General Budget, 1977-78—General Discussion and Demands for Grants on Account, 1977-78	5—24
श्री अरविन्द बाला पजनोर	Shri Aravinda Bala Pajanor .	5—6
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	6—7
श्री सौगता राय	Shri Sougata Ro	7—8
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen . . .	8
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	9
श्री गोविंद मुंडा	Shri Govinda Munda .	9—10
श्री चरण नरजरी	Shri Charan Narzary . .	10—11
श्री गेव मानचारशा अवारी	Shri Gev Mancharsha Awari	11
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal .	11,12
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	12—14
श्री सरतकुमार कार	Shri Sarat Kumar Kar	14
श्री लारंग साय	Shri Larang Sai .	14—15
श्री बशीर अहमद	Shri Bashir Ahmad	15—16
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	16—17

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1977—पुर:स्थापित	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977—Introduced . . .	24—25
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	24
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	25
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1976–77	Supplementary Demands for Grants (General), 1976-77 . . .	25—29
विनियोग विधेयक, 1977—पुर:स्थापित	Appropriation Bill, 1977—Introduced.	29—30
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	29
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	30
तमिलनाडु बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें 1977-78	Tamil Nadu Budget, 1977-78—General Discussion and Demands for Grants on Account, 1977-78	30-39
श्री आर० वेंकटरामन	Shri R. Venkataraman . . .	30—32
श्री वी० दण्डायुतपाणि	Shri V. Dhandayuthapani . .	32—33
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam . .	33—34
श्री ओ० वी० अलगसन	Shri O. V. Alagasan .	34—35
श्री के० मायाथेवर	Shri K. Mayathevar . .	35—36
श्री एस० जी० मरुगायन	Shri S. G. Murugaiyan . .	36—37
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	37
तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977—पुर:स्थापित	Tamill Nadu Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977—Introduced . .	40—41
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	40
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	41

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1976-77	Supplementary Demands for Grants (Tamil Nadu), 1976-77 . .	41—43
तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 977—पुर:स्थापित	Tamil Nadu Appropriation Bill, 1977—Introduced	43-44
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	43
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	44
नागालैंड बजट, 1977-78	Nagaland Budget, 1977-78	44—48
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	44—46
श्रीमती रानो एम० शैजा	Shrimati Rano M. Shaiza	46
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	46-47
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	47
नागालैंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977—पुर:स्थापित	Nagaland Appropriation (Vote on Account Bill, 1977—Introduced	49—50
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	49
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	50
अनदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड), 1976—77	Supplementary Demands for Grants (Nagaland), 1976-77 . .	51
नागालैंड (विनियोग) विधेयक. 1977—पुर:स्थापित	Nagaland (Appropriation) Bill, 1977—Introduced	52-53
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	52
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	52

पांडिचेरी बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा और	Pondicherri Budget, 1977-78—General Discussion and	
लेखानुदानों की मांगें, 1977–78	Demands for Grants on Account, 1977-78	53—55
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Arvinda Bala Pajanor	53-54
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	54
पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977--पुरःस्थापित	Pondicherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 1977—Introduced	56-57
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	56
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1]	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	57
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1976–77	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1976-77	57
पांडिचेरी (विनियोग) विधेयक-1977—पुरःस्थापित	Pondicherry (Appropriation) Bill, 1977—Introduced	58-59
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	58
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 .	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	59

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 30 मार्च, 1977/9 चैत्र, 1899 (शक)

Wednesday, March 30, 1977/Chaitra 9, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

शपथ लेने वाले सदस्य

MEMBERS SWORN

ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह (शिवहर)

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम)

श्री तुकाराम सदाशिव शरांगरे (उसमानाबाद)

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण तथा प्रशासन सम्बन्धी वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के कार्यकरण तथा प्रशासन सम्बन्धी वर्ष 1975 76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी-14/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सरकारी मुद्रणालय अलीपुर, कलकत्ता में दोहरे मतपत्र पाये जाने और संख्यांकित किये जाने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान भारतीय पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रणाधीन सरकारी मुद्रणालय अलीपुर, कलकत्ता में लाखों की संख्या में दोहरे मतपत्र पाये जाने और संख्यांकित किए जाने की ओर दिला रहा हूं तथा उनसे वक्तव्य देने के लिए निवेदन करता हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : पश्चिमी बंगाल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सरकारी मुद्रणालय से प्राप्त मतपत्रों के बंडलों की जांच करने पर और मतदान केन्द्रों पर उनका प्रयोग करने के उक्त अधिकारियों को एक ही नम्बर के मतपत्रों के बारे में पता चला था । ऐसे मतपत्रों की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :—

13. बारासात संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र०सं० 563501 से लेकर 563600 तक (100 संख्या)

15. जयनगर (अनु० जाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र०सं० 656551 से लेकर 657000 तक (450 संख्या)
644001 से लेकर 645000 तक (1000 संख्या)

19. बैरकपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र०सं० 669001 से लेकर 670000 (1000 संख्या)
635401 और 586700 (2 संख्या)

20. दमदम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र०सं० 458272, 458273 और 739728 (3 संख्या)

1. कूच बिहार (अनु० जाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र०सं० 298001 से लेकर 299000 (1000 संख्या)
522776 (1 संख्या)

3. जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र०सं० 236001 से लेकर 237000 (1000 संख्या)
293001 से लेकर 294000 (1000 संख्या)
421001 से लेकर 422000 (1000 संख्या)
473001 से लेकर 474000 (1000 संख्या)
475000 से लेकर 476000 (1000 संख्या)
556001 से लेकर 557000 (1000 संख्या)
640001 से लेकर 641000 (1000 संख्या)

31—कोलटाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4950 संख्या

34—पुरुलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
1000 संख्या

जिन मतपत्रों पर एक ही नम्बर दुबारा लगा था उनकी कुल संख्या 16506 थी ।

पश्चिमी बंगाल में मतपत्रों के नम्बर, नम्बर लगाने वाली हाथ की मशीनों द्वारा लगाए गए थे । यह कार्य बाहरी व्यक्तियों द्वारा ठेके पर सरकारी मुद्रणालय के परिसरों में मुद्रणालय प्राधिकारियों और पुलिस की कड़ी निगरानी में किया गया था । इस बार कार्य करने की पद्धति यह थी कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नौ स्कवायड काम कर रहे थे और प्रत्येक स्कवायड में 30 व्यक्ति थे । पश्चिमी बंगाल में कुल मिलाकर बयालीस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं । इन स्कवायडों ने प्रेस के उन कर्मचारियों के अधीक्षण में कार्य किया जो इस प्रयोजन के लिए लगाए गए थे । एक एक हजार के बंडल संख्यांकित किए गए थे और प्रत्येक बंडल पर क्रमानुसार नम्बर लगाने का काम मुद्रणालय के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक स्कवायड को सौंपा गया था । कुछ हजार मतपत्रों पर दुबारा नम्बर इस कारण लग गए कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों पर नम्बर लगाने के लिए एक से अधिक स्कवायड को एक ही सैट गलती से दे दिए गए थे । इसका नतीजा यह हुआ कि एक एक हजार के मतपत्रों के कुछ बंडलों पर एक ही नम्बर लग गया । रिटर्निंग अधिकारियों को इस गल्ती का उस समय पता चला जब वे मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र देने से पहले मतपत्रों की जांच कर रहे थे । ज्योंही इस गल्ती का पता चला त्योंही एक ही नम्बर के सभी मतपत्र निरापद अभिरक्षा में रखने के लिए मुद्रणालय को लौटा दिए गए और उनके बदले में सही नम्बर वाले मतपत्र फिर से मुद्रणालय द्वारा छापे गए और रिटर्निंग अधिकारियों को दिए गए । मुद्रणालय में नियोजित जो व्यक्ति इस गल्ती के लिए जिम्मेदार थे उन्हें पहले ही निलम्बित कर दिया गया है और इन गल्तियों की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है ।

निर्वाचन आयोग ने पिछले निर्वाचनों के आधार पर यह महसूस किया है कि मतपत्रों पर एक ही नम्बर छापे जाने की गल्ती इस कारण संभव है कि मतपत्रों पर नम्बर लगाने की पद्धति में त्रुटि है । आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों के लिए पुस्तिका (हैंडबुक फार रिटर्निंग आफिसर्स संस्करण, 1977) के अध्याय 4 के पैरा 4 में मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र दिए जाने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतपत्रों की जांच के सम्बन्ध में व्यौरेवार हिदायतें जारी की हैं । इन हिदायतों में यह उपबंध है कि जब कभी रिटर्निंग अधिकारियों को एक ही नम्बर वाले मतपत्रों का पता चले तब उन नम्बरों की विशिष्टियों को एक रजिस्टर में नोट किया जाना चाहिए और सूचना पट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए । सूचना की एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को भेजनी चाहिए । उसके बाद एक ही नम्बर वाले मतपत्रों को मुहरबन्द किया जाएगा और उस पर रिटर्निंग अधिकारी की मुहर और उस सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक की मुहर लगाई जाएगी जहां मतपत्र छापे गए थे और उन्हें उसी सरकारी मुद्रणालय में निरापद अभिरक्षा में तब तक रखा जाएगा जब तक कि उनके नष्ट किए जाने के लिए आयोग से निदेश प्राप्त न हो जाएं । रिटर्निंग अधिकारियों ने ऐसे सभी मामलों में, जिसमें एक ही नम्बर वाले मतपत्रों के बारे में पता चला, बड़ी सावधानी से हिदायतों का पालन किया ।

यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचन संचालन नियम 196 के नियम 38(1) में यह उपबन्ध है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र दिए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी उस मतपत्र के पीछे अपना पूरा हस्ताक्षर करेगा। यह उपबन्धइस बात को सूनिश्चित करता है कि मतदान के समय प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक मतपत्र असली है और कुछ मतपत्रों पर गल्ती से एक ही नम्बर लग जाने से मतदान किसी प्रकार दूषित न होगा।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): मुझे भय है कि यह वक्तव्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिये गये तथ्यों के चोधार पर दिया गया है। मैं इन बंडलों को सभा पटल पर रख दूं अथवा मंत्री महोदय को सौंप दूं ? इस तरह के सैंकड़ों बंडल रहे होंगे।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें मंत्री महोदय को सौंप दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बारे में अनुदेश यह हैं कि जब दोहरे नम्बर वाले मतपत्र पाये जाते हैं तब निर्वाचन अधिकारी को ऐसे मतपत्रों के विवरण का पंजीकरण तथा उनका सूचना पट पर प्रदर्शन करना होता है। इसकी एक प्रति हर उम्मीदवार को दी जानी चाहिए। मैं श्री शान्ति भूषण को आश्वासन दिला सकता हूं कि ऐसा नहीं किया गया। सरकारी मुद्रणालय में जो कुछ हुआ उसका 'स्टेट्समैन' कलकत्ता, आनन्द बाजार पत्रिका और 'युगान्तर' ने विस्तृत विवरण प्रकाशित किया था।

चुने हुए क्षेत्रों में निर्वाचन मेंहेराफेरी की व्यापक योजना उस समय के शासक दल ने बनाई थी। इसके विरुद्ध संसदीय जांच समिति अथवा जांच आयोग के बिना जनता संतुष्ट नहीं होगी।

मार्च 11 के स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार 50,000 से 70,000 मतपत्र बर्दवान और अलीपुर से गायब हुए तथा लाखों की संख्या में दोहरे मतपत्र प्रकाशित हुए थे। दोहरे मतपत्र यादवपुर, बर्दवान, हावड़ा, दुर्गापुर में पाये गये।

सारा काम एक योजना के अनुसार हुआ है। सरकारी मुद्रणालय, अलीपुर में लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मुद्रण नियंत्रक नियुक्त किया गया। यह मुद्रण नियंत्रक नशीली चीजों का आदी है तथा उनके निवास स्थान से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नंगी लड़कियों के फोटो प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद प्रधान मंत्री ने उसके लिए राष्ट्रपति के पुलिस मैडल की सिफारिश की।

मतपत्रों को दोहरे नम्बर लगाने के लिए बाहर से दफ्तरी नियुक्त किये गये जिन्हें धमका कर दोहरे नम्बर लगवाये गये। जब बात खुल गई तो उन्हें हटा दिया गया। विधि मंत्री कृपया बतायें कि श्री मुखर्जी को अभी तक भी वहां से क्यों नहीं हटाया गया।

बैरकपुर के 743 मतदान केन्द्रों में से 500 केन्द्रों को कांग्रेसी गुंडों द्वारा अधिकार में ले लिया गया। प्रो० चक्रवर्ती को इतनी गम्भीर चोट लगी कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। श्री स्वामिनाथन को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। परन्तु खेद है कि उन्हें अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कह दिया सब कुछ ठीक है।

यह सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस की करारी हार हुई। इन हालात में पश्चिम बंगाल सरकार को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है ? मेरा आग्रह है कि इसे तुरन्त हटाया जाये।

श्री शान्ति भूषण : मेरे वक्तव्य में बताये गये तथ्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त किये गये हैं। माननीय सदस्य ने और मतपत्र सप्लाई करने का वचन दिया है। उनके प्राप्त होने पर हम और जांच करेंगे। इन मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जायेगी। और यदि आवश्यक हुआ तो एक और वक्तव्य दिया जायेगा। ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उन्हीं सदस्यों को अवसर दिया जाता है जो इसकी सूचना देते हैं। उनकी संख्या अधिक होने पर बैलट द्वारा 4-5 व्यक्तियों को अवसर दिया जाता है।

मेरा ख्याल है कि वित्त विधेयक पर चर्चा के लिये पांच घंटे और दिया जाना पर्याप्त रहेगा।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : हम चाहेंगे कि उनके द्वारा मांग की गयी संसदीय जांच करायी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में नोटिस दे सकते हैं।

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : Although the emergency has ended in India, it still exists in Lok Sabha where gates are closed even now.

अध्यक्ष महोदय : 26 जून, 1975 के पूर्व की स्थिति पुनः लाई जायेगी। मुझे बताया गया है कि कुछ गेट इसलिए बन्द हैं ताकि उनका उपयोग आम रास्ते के रूप में न किया जा सके।

Shri Arjun Singh Bhadoria.: I have not yet finished.

अध्यक्ष महोदय : ऐसे बातों के लिए सदस्य सभा का समय न लें। वह मुझे अलग मिल लें।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Two officials of the secretariat of this House were arrested during emergency and were sent to Jail and humiliated. Why these officials have been kept under suspension or dismissed ? This matter relates to the House and not the Government, we cannot remain silent over it.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर मेरी संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हुई है। हम ऐसे सभी मामलों पर शान्तिपूर्व विचार कर सकते हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री पर से इस बातचीत करें और यदि आप उससे सन्तुष्ट न हों तो सीधे मुझे मिलें।

सामान्य बजट, 1977-78--सामान्य चर्चा

और

लेखानुदानों की मांगें, 1977-78

GENERAL BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1977-78.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं सभा में कह रहा था कि इस बारे में दोनों पक्षों में कोई मतभेद नहीं है कि देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 60 लाख के लगभग है। कुछ

लोग 90 लाख मानते हैं। परन्तु आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 60 लाख अथवा 75 लाख है। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि 10 वर्ष में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की उनकी क्या योजना है। 4 महीने के प्रस्तुत बजट में वह कितने व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं ?

निस्संदेह मौसम अनुकूल रहने से देश को लाभ पहुंचा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार की योजनाएं क्या हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री पानी के बारे में दीर्घकालीन नीति अपनायें।

पांडिचेरी की स्थिति यह है कि यदि तमिलनाडु में दूसरी पार्टी की सरकार हो तो हमें पानी मिलना बन्द हो जाता है। पिछली बार भी हमने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जल-संसाधनों को पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति माना जाये।

सरकार को नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में ऐसी नीतियां बनानी चाहिएं जिससे कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। यह बात खेदजनक है कि जनता सरकार के कार्यक्रम में जलविवाद निपटाने के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं है। यदि गंगा तथा कावेरी को मिलाया जाये तो यह देश की एकता के लिये वरदान होगा ही, साथ ही किसान भी प्रसन्न होकर कहेंगे कि यह सचमुच जनता सरकार है।

औद्योगिक श्रमिकों के बारे में हम पहले सरकार की इसलिए आलोचना करते हैं कि उसने बोनस समाप्त किया है और अनिवार्य जमा योजना लागू की है। लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नई सरकार की क्या नीति होगी। क्या यह सरकार श्रमिकों को बोनस देगी ? इसे स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहा जा रहा है। श्रमिकों के बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए।

इस चुनाव के परिणामों का लाभ उठा कर कुछ लोग देश में उत्तर-दक्षिण का विवाद फिर से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। जब तक सरकार इन विघटनकारी तत्वों का दमन नहीं करेगी, ये बहुत घातक रूप अपना लेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I listened to the speech of former Finance Minister which was very disappointing. According to him some leaders of Janta Party like Shri Madhu Limye had to contest elections from outside their own states. It is for him to see whether this is a matter of credit or discredit for the Janta Party and its leaders.

The Finance Minister has clearly stated that budget deficit is increasing, which will be now touching the figure of Rs. 425 crores. The Janta Party Government has to face the challenges posed by the actions of the previous Government. Our economic position is most critical and disturbing. Our friends on the opposition benches have painted a vey rosy picture of the national economy.

The number of unemployed registered in the employment exchanges during 1974 was 8·6 million which increased to 9·7 million in July, 1976 and this number is increasing.

The previous Government's policies were not employment-oriented. The Janta Party is committed to see that nobody is unemployed. Our party will encourage small scale industries so that maximum number of persons could get employment. Emergency failed to control the prices and raise production. In other words it was imposed to create panic and make wholesale arrests and detentions and also ban certain organisations.

We should be grateful to the former Prime Minister for imprisoning leaders of all the opposition parties which proved to be a blessing in disguise, as it served as an effective platform to unite all the political parties as an alternative to the Congress.

There are apprehensions that Janata Party will disintegrate but such fears and doubts are unfounded.

I would like the Finance Minister to review all the cases of bonus and D.A. freeze. The Janata Government should see that people are no more burdened with taxes and that deficit should be covered by avoiding unnecessary government expenditure.

With these words I thank the Finance Minister for presenting this budget.

श्री सौगता राय (बैरकपुर) : अपने पहले भाषण में मैं नई सरकार के सदस्यों, विशेषकर प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को बधायी देना चाहता हूं ।

हमारे दल की लोक सभा चुनावों में हार हुई है । हम अपन दल की हार को स्वीकार करते हैं । हमारा दल नई सरकार को अपना पूरा सहयोग देता रहेगा । इस बजट से मैं कुछ अधिक आशायें रखता था । यह एक नौकरशाह का बजट है । वित्त मंत्री का नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह तो केवल लेखा अनुदान ही है ।

श्री सौगता राय : कम से कम कुछ प्राथमिकतायें तो निश्चित की जातीं लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया ।

हम जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किये गये अच्छे कार्यों को भी मान्यता नहीं दी जायेगी । क्या राष्ट्रीयकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी पुनः विचार किया जायेगा ? आप कुछ भी कहें लेकिन यह ठीक है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्राथमिकतायें निश्चित की गई थीं ।

लोगों ने गुस्से में सरकार के विरुद्ध वोट दिया है । लोगों की आर्थिक समस्याओं का हल किये जाने की जरूरत है । यदि उनकी आर्थिक समस्यायें हल नहीं की जातीं तो लोग इस सरकार के भी विरुद्ध हो जायेंगे । यदि यह सरकार स्वतन्त्रता और लोकतंत्र के नाम पर तस्करों, कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों और जमाखोरों के प्रति नम्रता बरतती है तो लोग इस सरकार के भी विरुद्ध खड़े हो जायेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त ने बताया है कि जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा है कि वह बेरोजगारी बीमा योजना लागू करेगी । मैं एक ऐसे राज्य से आया हूं जहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सब से अधिक है । यदि वित्त मंत्री देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इस योजना की घोषणा करते हैं तो मैं उनको बधाई देने वाला पहला व्यक्ति हूंगा ।

पिछली सरकार ने कर्मचारियों के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम और कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम लागू किया था जो श्री मोहन धारिया ने प्रस्तुत किया था । हम जानना चाहते हैं कि क्या इस सरकार द्वारा कोई ऐसा विशेष रोजगार कार्यक्रम या अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम लागू किया जायेगा जिससे कि हमें भविष्य में कुछ आशाएं होने लगें ।

हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ठोस है और विदेशी मुद्रा आरक्षण 2800 करोड़ रुपये है । हम नहीं चाहते कि यह विदेशी मुद्रा आरक्षण समाप्त हो । हम इसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करना चाहते हैं जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े । मैं कहना चाहता हूं कि भारत अर्थ-व्यवस्था, उर्वरक और खाद्यान्नों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है । हम नई सरकार को

अपना पूरा सहयोग देंगे । यदि यह सरकार कुछ ठोस कदम उठाती है तो हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस सरकार को बहुराष्ट्रीय तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिये । क्योंकि इन्होंने हमारे देश का बहुत शोषण किया है । इन लोगों ने हमारे देश से लाभ के रूप में बहुत धनराशि अपने देश में पहुंचाई है । हम चाहते हैं कि इन बहुराष्ट्रीय तत्वों को और अधिक छूट न मिले ।

पटसन उद्योग की स्थिति गम्भीर है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 22 पटसन मिलें हैं जब कि सारे पश्चिम बंगाल में 62 पटसन मिलें हैं । इनमें से चार तो बन्द पड़ी हैं । पटसन कर्मचारियों को गत एक वर्ष में भारी हानि हुई है और 50,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं । अतः नई सरकार को इस पटसन मिलों को पुनः चालू करने के लिये धन देना चाहिये ।

मेरा यह कहना है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मूल समस्याओं का हल करने हेतु पटसन, कपड़ा और चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये क्योंकि ये कृषि उत्पादन से सम्बन्धित हैं । यदि आप किसानों को बचाना चाहते हैं तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । हमने देखा है कि बंगलादेश के संकट के समय किस तरह इन पटसन उद्योगपतियों ने कम बीजक और अधिक बीजक बना कर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया, परन्तु थोड़ी मन्दी होते ही इन्होंने पटसन कर्मचारियों की छंटनी करके उन्हें बेरोजगार बना दिया । जब तक पटसन, कपड़ा और चीनी उद्योग का राष्ट्रीकरण नहीं किया जाता तब तक इन लोगों को राहत नहीं मिल सकती । अतः मैं नई सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

Shri Ugrasen (Deoria): The Member from Pondicherry has raised the question of unemployment. The best solution of this problem is the one suggested by Dr. Lohia in 1952, namely, to raise a land army.

The question of nationalisation was also raised. What has been done during the last 30 years is not nationalisation but departmentalisation. The new Government will have to make a new beginning in this regard.

It is difficult to agree with the suggestion to raise D.A. Instead what the Government should do is to check the rise in prices. It should also see that the expenditure incurred on luxury items is stopped. What is the use of manufacturing refrigerators and watches when our people do not have enough to eat?

Dr. Lohia used to say that after indepedence there will be workers' and peasants' rule in the country and that we will have our own language and dress. But what has actually happened ? Palatial buildings have been built in the Capital such as the Rail Bhawan, the Yojna Bhawan and tne Nirman Bhavan. What was the need of such buildings ? Why does the President live in such a big building ? It is high time that we should learn something from Vietnam where the head of the State lives in a very simple way.

As regards water for irrigation, there is great need to take up the Karnali Project on Ghagra River and the Jalkundi Project on Rapti River. If these projects are implemented, about 3½ crore people will be benefited.

It has been said in the Report of the National Planning Committee that approach roads, field tracks, village streets and squares, wells, baths and wash houses, meeting halls, playgrounds, primary schools, etc. should be provided in the villages. What has been done in this regard ? The fact is that today we have not been able to provide even for drinking water in 1,16,000 villages of the country. Who is responsible for this ?

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : वित्त मंत्री ने मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने प्रश्न ठीक प्रकार से समझा है। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में पूर्व अनुभव और विफलताओं को ध्यान में रखना होगा। जब तक कुशल लोक वितरण प्रणाली नहीं होती, हम मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर पायेंगे और स्थिरता नहीं ला सकेंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि यह बजट उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है, फिर भी मुद्रास्फीति को रोकने सम्बन्धी मामले में उनकी विचारधारा कुछ हद तक अपनाई गई है। गत कुछ वर्षों में श्रमिकों के वेतन आदि की कटौती करके मुद्रा स्फीति पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया है। परन्तु यह सब बेकार सिद्ध हुआ है। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वेतन में की गई कटौती और अनिवार्य जमा योजना समाप्त की जाये; बोनस अधिनियम रद्द किया जाये। और वेतन पर लगी रोक समाप्त की जाये। कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन दिया जाये और सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते का बकाया दिया जाये। उत्पादन में कर्मचारियों को उनका भाग मिलना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मुद्रास्फीति की समस्या सारे विश्व में है। मेरा कहना है कि यह बात गलत है। विश्व के बहुत से देशों में कोई मूल्य वृद्धि नहीं है, वहां बेरोजगारी नहीं है, और वहां मन्दी नहीं है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारा देश पूंजीवादी मार्किट से बंधा हुआ है जहां पर हम मुद्रा स्फीति के बिना नहीं रह सकते। इसी कारण हमारे देश में यह समस्या है।

जहां तक पत्तनों और गोदियों का सम्बन्ध है, वहां पर तनावों का वातावरण है क्योंकि चटर्जी आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप वहां छंटनी की संभावना है और पत्तन एवं गोदी कर्मचारियों के वेतन में उचित वृद्धि नहीं हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में बातचीत शुरू करनी होगी और जब तक हमारा श्रमिक वर्ग पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं होता, तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा।

श्री गोविन्द मुंडा (क्योंझर): मैं जनता सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करता हूं। उड़ीसा के लिए 1976 का वर्ष बुरा था। उड़ीसा के 13 जिलों में से 9 जिलों में सूखा पड़ रहा है। परिणामस्वरूप वहां के आदिवासियों और हरिजनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे संकट के समय कांग्रेस ने वहां चुनाव करवाने की घोषणा की। कांग्रेस सरकार स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और हरिजनों को लाखों रुपये बांटे।

क्योंझर जिले में खनिज संसाधन हैं। वहां के श्रमिक कठिन काम करते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया क्योंकि उन्हें बोनस से वंचित कर दिया गया। हमने चुनाव के दौरान उनसे कहा था कि जनता पार्टी उनके हितों के लिये लड़ेगी। इसके तुरन्त बाद ही इन्दिरा सरकार ने उनको बोनस देने की घोषणा कर दी। ऐसा क्यों किया गया ? यही नहीं उन्हें मकान भी दिए गए।

उड़ीसा कृषि प्रधान राज्य है लेकिन वहां सिचाई के लिए सुविधाएं नहीं हैं। पेय जल को भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 साल बाद भी सरकार वहां जल व्यवस्था

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Oriya.

नहीं कर सकी । उन्हें देश पर शासन करने का क्या अधिकार है ? यदि हम अपना प्रशासन भली प्रकार चलाना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस की नीतियों को त्यागना होगा । जनता को इस सरकार में विश्वास है हम उनका धन्यवाद करते हैं ।

कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उड़ीसा में पानी का भारी संकट है । आशा है वित्त मंत्री इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

चुनाव के दौरान सरकार ने जाखुपुरा—बेंसपानी रेलवे लाइन को शुरू किया था । लेकिन खेद की बात है कि इस रेलवे लाइन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है । (व्यवधान)

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 अभी तक अपूर्ण है । आदिवासियों की हमेशा उपेक्षा की गई है कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया ? सरकार को सजग होकर कार्य करना होगा और आगे बढ़ना होगा ।

श्री चरण मरजारी (होशंगाबाद) : सरकार का बजट जनोन्मुख होना चाहिये क्योंकि यह देश में प्रत्येक व्यक्ति को धनवान बना सकता है । चूंकि वर्तमान सरकार देश के पददलित लोगों का हित चाहती है, अतः सरकार को इन लोगों की आवाज सुननी होगी । पददलित लोगों के दो वर्ग हैं—एक वर्ग ऐसा है जिसकी आवाज सुनी जाती है और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती । मैं दूसरे वर्ग के लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हूं ।

कांग्रेस सरकार ने आसाम के लोगों की आशाओं को पूरा नहीं किया । इसलिए वहां के लोगों ने जनता पार्टी को समर्थन दिया । अब मेरा अनुरोध है कि बजट बनाते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के और कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । दलित वर्गों को संगठित होना चाहिए और सरकार की सहायता करनी चाहिए ताकि उनके आधारभूत समस्याओं को हल किया जा सके । सबसे बड़ी समस्या उनकी सुरक्षा की है । जनता सरकार का फर्ज है कि वह दलित वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा करें ।

गत तीस वर्षों में दलित वर्गों के साथ बहुत अन्याय किया गया है । पूर्वी क्षेत्रों में पेय जल तक उपलब्ध नहीं है । सिंचाई सुविधाएं भी पूरी तरह प्राप्त नहीं हैं ।

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुईं]
[KUMARI ABHA MAITI *in the Chair*]

पिछली सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के पुनर्वास एवं सुरक्षा का आश्वासन दिया था । लेकिन आपातस्थिति की उद्घोषणा के साथ ही भूमिहीन आदिवासियों को आरक्षित जंगल के क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया । ऐसे लोगों को पुनः बसाया जाना चाहिए । केन्द्रीय और राज्य सरकारों को आदिवासियों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। लेकिन दोनों सरकारों के होते हुए आदिवासियों की सहायता नहीं की गई । ये लोग उतने ही राष्ट्रभक्त हैं जितने कि अन्य भारतीय । ये लोग देश के रक्षक हैं क्योंकि ये युद्ध की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों में रहते हैं । इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के वासियों की समस्याओं पर ध्यान दे ताकि वे भी राष्ट्रीय जीवन की धारा में शामिल हो सकें । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संसद

सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह एकजुट होकर सरकार की सहायता करें ताकि वह दलित वर्गों के कल्याण के लिए प्रभावशाली कार्यवाही कर सके ।

श्री गेव मनचर शा अवारी (नागपुर) : निश्चय ही मुद्रास्फीति का एक बड़ा आर्थिक संकट विश्व पर मंडरा रहा है । इसका प्रभाव भारत जैसे उन विकासशील देशों पर पड़ा है, जो सम्पन्न बनने का प्रयत्न कर रहे हैं । वर्ष 1974 में भारत में अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुई है । यह सब मानते हैं कि गत सरकार ने पिछले दो वर्षों में मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि को रोका है । निश्चय ही पिछली सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । इन उपलब्धियों को नजरअन्दाज़ नहीं किया जा सकता ।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अस्पष्टता का रुख अपनाया । उन्हें नये बजट के स्वरूप का आभास दे देना चाहिए था । बजट में बड़ा घाटा दिखाया जाता रहा है और नए वित्त मंत्री को पूरी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी होगी । सरकार का कहना है कि वह असमानता, बेरोजगारी और गरीबी हटाना चाहती है । देश के निर्धन वर्ग पर इस समय भारी बोझ है । सरकार को इस भार को कम करने का आश्वासन देना चाहिए ।

नए बजट में जन साधारण पर कम से कम कर लगाया जाना चाहिए । यह पूछा जा सकता है कि यदि जन साधारण को कर मुक्त किया जाता है तो घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा ? मेरा सुझाव है कि जो लोग अत्यधिक अमीर हैं, उन पर घाटे को पूरा करने के लिए अधिक कर लगाए जाएं । खाद्यान्न, खाद्य तेल आदि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएं । इसके लिए अवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना होगा या कोई व्यवस्था करनी चाहिए । जिसके अन्तर्गत इन वस्तुओं का व्यापार सामान्य व्यापारियों को न सौंपा जाए ।

नए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी की समस्या का भी उल्लेख किया है । सब बातों को ध्यान में रखने पर यह पता चलता है कि बेरोजगारी की समस्या में निश्चय ही सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना है । बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए युवकों का सहयोग लिया जाए ।

मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि स्वतन्त्रता के नाम पर व्यापारियों को पूरी छूट दे दी गई तो वे जमाखोरी और चोर बाजारी करने लगेंगे । हमें अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करना होगा या कोई अन्य ऐसी व्यवस्था करनी होगी ।

Shri Manohar Lal (Kanpur) : I rise to support the budget proposals. It is a matter of great surprise and pleasure that the people of India have voted for the Government of Indira Gandhi. People of India have supported Janta party and we welcome their verdict. Now I will request the hon. Finance Minister to undo the wrongs committed by the previous Government.

Suggestions have been received from the opposition that the new Government should remove the problem of unemployment. I ask the opposition what they were doing for the last thirty years in this direction ? They never cared for the welfare of general public. A number of malpractices were committed by the former Railway Minister, Shri Kamlapati Tripathi. Thorough enquiry should be conducted in these matters.

Much has been said in appreciation of 20 point programme. But may I know whether removal of corruption was also included in this programme ? Actually, 20 point programme was reduced to a decoration piece and could not reach the people at large.

Innocent people were put to jails. Maltreatment was meted out to the people languishing in jails.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे ।

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past fourteen of the Clock.

सामान्य बजट, 1977–78—सामान्य चर्चा —–जारी

GENERAL BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri Manohar Lal : Atrocities committed by previous Government cannot be ignored. People of India have given befitting reply to previous government by supporting Janta Party. The Congress Government had adopted the British policy of Divide and Rule. Congressmen used to get vote by creating disaffection among Hindu-Mohamdans. But they have shown that they are integrated and can live together. 62 crores of people have given their verdict in favour of Janta party.

A number of irregularities were committed on the question of compulsory sterilisation. Teachers were asked to bring motivation cases otherwise their salaries will be withheld. Teachers were suspended and their salaries withheld on account of motivation cases.

Crores of rupees were spent in the name of tree plantation under 5 point programme. In Kanpur alone 30 lakhs of rupees were wasted for tree plantation at the instance of Mr. Sanjay Gandhi.

Excesses were committed on people during 19 months. Workers were deprived of their bonus rights, instalment of dearness allowance withdrawn from the Central Govenment employees and the agreement entered upon between L.I.C. employees and the Management was not acted upon. We have to ensure that full justice is given to the persons who were victimised during emergency. Employees of L.I.C. should be provided with all these facilities for which they are entitled.

A number of employees have become surplus for want of project in Hindustan Aeronautics Limited. We want that Government should provide some project so that they may be engaged on work.

Some workers have been removed from service in Kanpur mills. Workers are not being given their bonus. We want that bonus should be given to them.

Bridge on Ganges river in Kanpur is very necessary. Foundation stone was laid in 1971 by the then Transport Minister Mr. Raj Bahadur. But no progress has still been made.

Our hon. Finance Minister is a very liberal man and we hope that he will try to complete all the schemes by his liberal attitude.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं लेखानुदानों सम्बन्धी विवरण का समर्थन करता हूं । मैं मंत्री महोदय को बधाई देते हुए उन्हें सावधान भी करना चाहता हूं कि जनता की आशाएं बढ़ती जा रही हैं और जनता सरकार को बहुत कम समय में गहन विचार करना होगा । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री मई में बजट पेश करते समय आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पहलू पर भी जोर देंगे ।

जनता का निर्णय जन क्रांति के रूप में उभरकर आया है । जन-जागृति का इतना सजीव उदाहरण प्रजातांत्रिक विश्व में कहीं और दिखाई नहीं पड़ता । भारत के लोगों ने भ्रष्ट एवं गंदी सरकार को बदल

कर एक नई सरकार को जन्म दिया है इससे भारत का गौरव बढ़ा है। अतः सब से पहले मैं अपनी मातृ-भूमि और भारतवासियों का अभिनन्दन करता हूं। भारत के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि वह शान्तिमय क्रांति से गंदी सरकार को बदल सकते हैं।

राजनीतिज्ञ इसलिए बदनाम रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन मैं राजनीतिज्ञों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे अपने स्तर से ऊंचा उठें और सामूहिक रूप से कार्य करें। राजनीतिज्ञों की इच्छाओं आ. जनता की इच्छाओं में अन्तर है। राजनीतिज्ञों को चाहिए कि वे जन इच्छाओं के अनुरूप कार्य करें।

आसाम से चुन कर आये माननीय सदस्य ने कहा है कि अभी तक करोड़ों देशवासियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी परन्तु अब धीरे धीरे उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं। हमें आशा है कि जन सामान्य की बातों को सुना जाएगा और उनकी मांगों को यथासम्भव पूरा किया जाएगा।

मुझे यह भी विश्वास है कि जनता दल अपने वायदे पूरे करेगा।

मुझे खेद है कि भूतपूर्व मंत्री ए० सी० जार्ज ने देश को दक्षिण और उत्तर में विभाजित करने का प्रयास किया। यह देश अविभाज्य है और किसी भी मंत्री या भूतपूर्व मंत्री को देश को विभाजित करने की बात करने का अधिकार नहीं है।

श्री सुब्रह्मण्यम का भाषण भी आश्चर्यजनक तथा हास्यास्पद है। उन्होंने आपात काल में प्राप्त की गई उपलब्धियों की बात की है। अगर तर्क रूप में यह बात मान भी ली जाए तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवीय प्रतिष्ठा, जन स्वतन्त्रता का अहित करके ये उपलब्धिां प्राप्त की गई हैं।

कांग्रेस सरकार ने दो लाख व्यक्तियों को जेल में रखा है। उन्होंने दो करोड़ से अधिक लोगों को द्विविधा में डाला है। इस तरह उन्होंने समूचे राष्ट्र को एक प्रकार से दास बना कर रख दिया। उन्हें इस पर शर्म महसूस करनी चाहिए। आज जब कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, अपनी अतीत की कार्यवाहियों से पाठ नहीं पढ़ना चाहती। आज श्री जार्ज कहते हैं कि जनता ने भावावेश में आकर अपना मतदान दिया और उन लोगों ने सोच विचार कर अपना मतदान नहीं दिया। किन्तु श्री जार्ज भूल गये है कि इन्हीं लोगों ने 1971 में कांग्रेस को अपना बहुमत दिया था। उस समय ये लोग सुविचारित नहीं थे। और आज जब कि कांग्रेस दल सत्ता से हटा दिया गया है तो ये लोग नासमझ समझे जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि उन्हें पूरी तरह इस उभा से नहीं निकाला गया है। लेकिन यह कहना जनता की बे-इज्जती है कि लोगों ने भावावेश में आकर अपना मतदान दिया है। चाहे भारत की जनता अशिक्षित है और राजनीतिक दृष्टि से समझदार नहीं है, फिर भी यह सब कहना अनुचित है। मैं श्री जार्ज को यह बताना चाहूंगा कि यदि जनता ने भावावेश में आकर अपना मतदान दिया है तो उनका भावावेश में आना स्वाभाविक था। उनका भावावेश में आना इसलिए स्वाभाविकहै कि आपा त स्थि ति के दौरान उन पर कई तरह के अत्याचार किये गये।

मुझे आशा है कि विपक्ष जनादेश से कुछ सबक सीखेगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके दल ने कहा है कि संसद सर्वोच्च है, और उन्होंने इसके लिए जनता का दमन करके संविधान में

संशोधन किया। वास्तविकता तो यह है कि भारत की संसद के ऊपर संविधान है और संविधान के ऊपर जनता है किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कुछ और ही ढंग से कार्य किया। उन्होंने जनता का दमन किया, संविधान में परिवर्तन किये।

हमें पता है कि वित्त मंत्री को आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों की ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं है किन्तु हमें आशा है कि वित्त मंत्री आर्थिक प्रगति के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायेंगे।

बढ़ते हुए मूल्यों, मुद्रास्फीति तथा बढ़ती हुई गरीबी की समस्या को हल करना होगा। सरकार को मितव्ययता बरतनी पड़ेगी यहां शपथ लेने से पूर्व हम सभी राजघाट गये और हमने वहां मितव्ययता बनने की कसम खायी। श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल के दौरान जन-जीवन का स्तर गिर गया था आज उसे हमें ऊपर उठाना है।

अतः यदि आज हम जनता के साथ है,यदि आज हम निस्वार्थी है और यदि आज हमारा कोई सिद्धान्त है तो चाहे हमारे मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न हो तो भी हम इस सरकार को एक सफल सरकार सिद्ध करेंगे।

श्री सरत कुमार कार (कटक) : आज जब मैं भूतपूर्व, वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम के भाषण को सुन रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं आल इंडिया रेडियो सुन रहा हूं। वह कांग्रेस की बड़ी सराहना कर रहे थे किन्तु वास्तव में हुआ इसके विपरीत है, आपात स्थिति के दौरान अधिक काम और कम बातें करने की बात कही गयी थी किन्तु हुआ इसके सर्वथा विपरीत।

मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में विद्यमान क्षेत्रीय विषमता की ओर दिलाना चाहता हूं। आज उड़ीसा की 75 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में रेखा के नीचे है, यद्यपि उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भरपूर है। वहां प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। देश की वन सम्पदा का एक तिहाई और खनिज साधनों का एक चौथाई उड़ीसा में ही उपलब्ध है। यदि उड़ीसा के इन प्राकृतिक संसाधनों को सुव्यवस्थित रूप से उपयोग में लाया जाये तो हम इस राज्य को जापान और पश्चिम जर्मनी की भांति विकास कर सकते है। उड़ीसा के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूतपूर्व सरकार का इस राज्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाना है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। मैं मानता हूं कि 30 वर्षों की कमी को अल्पावधि में पूरा नहीं किया जा सकता। किन्तु हमने जनता को आवश्वासन दिया है कि सबको रोजगार तथा पेट भरने को भोजन मिलेगा।

हमारे यहां रेल लाइनें बहुत कम है। उड़ीसा में उर्वरक कारखाना, पोत निर्माण उद्योग तथा एक दूसरे इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Shri Larang Sai (Sarguja) ; A number of concessions and facilities were awarded to Harijans and Adivasis by the previous Government. But they mostly remained on file. It did not reach to those for whom they were meant. Therefore there was hardly any improvement in the condition of those poor people during the last 30 years of Congress rule.

It is regrettable that there is hardly any railway line in the area which I represent. Even the district headquarter has not been linked by railway line. This should be looked into seriously.

Harijans and Adivasis h d t bear the main burnt of sterilization programme of the previous Government. Many of the youngmen were forcibly sterilised. In the enthusiasm to cover large number of persons, proper care was not taken and as a result few persons had died. This should be looked into.

The Congress had exploited the Harij ns and Adivasis for their own interest. I hope the new Government will change these policies towards them and they will be allowed to come in the main stream of Social and political life and play a constructive role.

Although there is a fixed quota for Harijans and tribals in the Government Services but it was seldom fulfilled during the Congress rule. I would urge upon the Government to see that the quota fixed for them is fulfilled.

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : कांग्रेस ने अपने 30 वर्षों के शासन के दौरान जनता को केवल दुःख ही दिया है। हमारे नेताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे तैयार किए गए। भारत रक्षा नियम और आंसुका की आड़ लेकर उन्हें जेलों में रखा गया।

अपने 30 वर्ष के कुशासन के दौरान कांग्रेस ने हमेशा साम्प्रदायिक झगड़ों के माध्यम से हिन्दू-मुसलमानों को अलग अलग रखने की कोशिश की। लोगों की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई, और उनके अधिकार छीन लिए गए।

गत 20 महीनों की आपात स्थिति में नसबन्दी कार्यक्रम क्रियान्वित करने के नाम पर कई ज्यादतियां की गईं। तुर्कमान गेट, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में गोलियां चलाई गईं। इन सब घटनाओं की जांच होनी चाहिए।

संजय गांधी की उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा पर लाखों रुपये व्यय किये गये। इस सम्बन्ध में एक जांच आयोग बिठाया जाना चाहिए तथा जिन मुख्य मंत्रियों ने इस ढंग से धन का अपव्यय किया है, उन्हें सीधा इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

अब कांग्रेस हमें तस्करों के बारे में बताना चाहती है। प्रश्न तो यह है कि इन तस्करों को किसने पनपने दिया। यह और कोई नहीं केवल कांग्रेस दल था, जिसने तस्करों से चन्दा लिया। कांग्रेसी सरकार ने तस्करों को कभी भी अदालत में पेश नहीं किया क्योंकि उन्हें भय था कि ये तस्कर उनकी पोल खोल देंगे। और यह बता देंगे कि उन्होंने कांग्रेस को कितना चन्दा दिया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर तथा बांदा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। वहां सड़कें नहीं हैं। गांवों में मंडियां नहीं हैं। एक प्रकार से लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ लगने वाले राय बरेली क्षेत्र में कई औद्योगिक परियोजनाएं हैं। कांग्रेस दल राय बरेली की जनता को रिश्वत तथा प्रलोभन देकर लालच में डालना चाहता था क्योंकि उनकी नेता इंदिरा गांधी को यहीं से चुनाव लड़ना था। और वह वहां से चुनाव लड़ी थीं।

आंसुका के अन्तर्गत काफी लोगों को नजरबन्द किया गया। उन सभी नजरबन्दों को, जिन्हें रिहा किया गया है, पुनः ठीक ढंग से बसाया जाना चाहिए। इसके लिए बजट में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आंसुका के अन्तर्गत इन नजरबन्द व्यक्तियों तथा उत्पीड़ित मृतकों के परिवारों के पुनर्वास का अनुदान तथा रखरखाव अनुदान तुरन्त आवंटित किया जाना चाहिए।

अनिवार्य नसबन्दी के अन्तर्गत नसबन्दी न कराने वाले जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है, उनकी पुनः बहाली की जानी चाहिए। अनिवार्य नसबन्दी किए जाने के फलस्वरूप कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उनके परिवारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): सभा के सभी वर्गों से बजट के बारे में जो भाषण दिए गए हैं, मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना है और सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं, मैं उन पर पूरी तरह विचार करूंगा। किन्तु कुछ बातों पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में कहूंगा। उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी असाधारण बातें कही हैं जिनसे कि भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा है कि समूचे दक्षिण भारत ने अपने ही ढंग का समर्थन दिया है और इसलिए इसे ध्यान में रखना होगा। (**व्यवधान**)

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं उत्तर और दक्षिण में विश्वास नहीं करता।

श्री एच० एम० पटेल : मैं तो आपके ही भाषण का उद्धरण दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

मैं तो उनके भाषण का शब्दशः उद्धरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि समूचे दक्षिण भारत ने विशेष प्रकार का समर्थन दिया है। क्या श्री सुब्रह्मण्यम यह चाहते हैं कि दक्षिण से कांग्रस को अधिक मत मिले हैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां के लिए प्रधान मंत्री बनी रहें और यह सरकार उत्तर भारत के लिए रहे?

श्री सुब्रह्मण्यम देश के उत्तर और दक्षिण भागों में भेद-भाव पैदा करना चाहते हैं। बजाये इन बातों के उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर में कांग्रेस की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। पर ऐसा कहना ठीक नहीं कि जनता पार्टी की सरकार में दक्षिण भारत के जो तीन सदस्य हैं वे संगठन कांग्रेस के हैं जनता के नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम को जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में विनिर्दिष्ट है कि भारत एक है। कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जनता पार्टी में मिले हुए सभी व्यक्ति जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हैं चाहेपहले उनका सम्बन्ध किसी भी दल से क्यों न रहा हो।

एक सुनिश्चित आर्थिक कार्यक्रम के गठन के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। नियमित रूप से बजट प्रस्तुत करते समय मैं उन कार्यक्रमों पर प्रकाश डालूंगा।

यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी श्री सुब्रह्मण्यम या श्री ए० सी० जार्ज ने चित्रित की है। 1975–76 में उत्पादन वृद्धि का कारण मोसम का अनुकूल होना था। आर्थिक स्थिति का अनुमान इस बातसे लगाया जा सकता है कि इस वर्ष राष्ट्रीय आय में केवल 2% प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। गलत नीतियों के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में काफी कमी हुई है।

निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। उनकी संख्या असहनीय हो गई है। यह बड़े खेद की बात है कि पिछली सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस गम्भीर समस्या का कोई हल नहीं सुझाया है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि

हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र को हर प्रकार की प्राथमिकता दी थी लेकिन अभी भी देश की 75% भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। पिछली सरकार ने जान-बूझकर जल संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया। अन्तर्राज्यीय जल विवादों को लम्बे समय तक लटकाये रखा। विशेषकर देश के पूर्वी भागों में विशाल जल संसाधनों का योजनाबद्ध ढंग से विकास नहीं किया गया है।

श्री सुब्रह्मण्यम ने भारतीय औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में सुधार की बात कही है। लेकिन गत दशक के दौरान औद्योगिक उत्पादन 4 प्रतिशत से भी कम बढ़ा है। आज भी कोयला, इस्पात, कपड़ा और इंजीनियरी उद्योगों की मांग की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिससे रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो रहे।

निर्यात के क्षेत्र में भी बहुत त्रुटियां हैं। प्याज, कपास और मूंगफली के तेल का निर्यात किया गया जिससे घरेलू सप्लाई पर प्रभाव पड़ा और मूल्य बढ़ने लगे। फलस्वरूप भारत भर में उपभोक्ताओं की परेशानियां बेहद बढ़ गईं।

यद्यपि विदेशी मुद्रा का हमारा भंडार बढ़ा है तथापि वनस्पति घी और कपास का आयात नहीं किया गया। यदि देश की जनता का भला नहीं होता तो विदेशी मुद्रा के भंडार का क्या लाभ है?

अपने भाषणों में श्री सुब्रह्मण्यम और श्री ए० सी० जार्ज ने ऐसा प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है कि आपात स्थिति बहुत अच्छी थी उसे पुनः लागू किया जाना चाहिये। परन्तु हम चाहते हैं कि मूल अधिकारों, मानवीय स्वतन्त्रता और विधि की सर्वोच्चता का बलिदान न किया जाये।

इसके अतिरिक्त 21 मार्च को पिछली सरकार ने स्वयं आपात स्थिति समाप्त कर दी। शायद उसे अकल आ गई। पर यदि उसने समझदारी से काम लिया होता तो ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये थी जिससे तस्कर और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले कैद से छूटने पर भी किसी प्रकार की शरारत न कर पायें।

तथापि हम तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों को पूरी तरह दबाने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम समझते हैं कि आपात स्थिति ही इसे रोकने का एकमात्र साधन नहीं है। देश के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत भी प्रभावी कदम उठाये जा सकते हैं। हम बिना मुकदमा चलाये लोगों को हिरासत में नहीं रखना चाहते।

हमारी ऋण-नीतियां भी लचीली होनी चाहिये जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि के बिना उत्पाद बढ़ाया जा सके।

पूर्वी क्षेत्र में सुधार के सुझाव पर मैं विचार करूंगा और उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी। आज हमारी कृषि तथा उद्योगों के सामने अपर्याप्त वृद्धि की समस्या है और बेरोजगारी की विशाल समस्या है। इन के समाधान के लिए हमें सभा में सभी दलों की सहायता की आवश्यकता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : महोदय यह केवल मेरा ही विचार नहीं है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय भी यही है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को नये आयाम प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के चांसलर आफ एक्सचैकर को भी यह सुझाव दिया गया था कि उन्हें मार्गदर्शन के लिए नई दिल्ली जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब मैं किसी अन्य मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा । कटौती प्रस्ताव लिए जायेंगे ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put & negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1977–78 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for Grants on accouts for the year 1977-73 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि विभाग	81,41,000	..
2.	कृषि . .	62,85,93,000	173,68,30,000
3.	मीन उद्योग .	7,06,12,000	3,82,74,000
4.	पशुपालन और डेरी विकास	18,72,66,000	2,20,60,000
5.	वन .	5,29,52,000	46,67,000
6	खाद्य विभाग .	2,03,08,79,000	14,72,51,000
7.	ग्राम विकास विभाग .	45,69,88,000	4,68,07,000
8	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग .	2,55,000	..
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां . . .	19,49,75,000	..
10	सिंचाई विभाग . .	7,93,01,000	2,47,25,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
11.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय .	14,35,000	..
12.	रसायन और उर्वरक उद्योग .	25,000	1,56,79,64,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय		
13	नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय	12,27,000	..
14	नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता .	7,57,74,000	7,21,16,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
15	वाणिय मंत्रालय . .	48,50,000	..
16	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,31,54,90,000	106,22,44,400
	संचार मंत्रालय		
17	संचार मंत्रालय .	54,34,000	4,27,33,000
18	विदेश संचार सेवा	[illegible],59,10,000	2,83,45,000
19	डाक-तार—कार्यकरण व्यय .	2,0 ,52,45,000	..
20	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	54,56,43,000	..
21	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय		115,02,67,000
	रक्षा मंत्रालय		
22	रक्षा मंत्रालय . . .	24,05,94,000	17,08,68,000
23	रक्षा सेवाएं—सेना .	598,83,47,000	..
24	रक्षा सेवाएं—नौसेना . .	62,58,65,000	..
25	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	191,84,23,000	..
26	रक्षा सेवाएं पेंशनें	37,15,02,000	..
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		102,01,01,000
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
28	शिक्षा विभाग	52,53,000	..
29	शिक्षा	62,46,11,000	26,90,000
30	समाज कल्याण विभाग	6,76,70,000	..

1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	ऊर्जा मंत्रालय		
31	ऊर्जा मंत्रालय . . .	22,75,000	..
32	विद्युत विकास . .	17,28,69,000	48,52,31,000
33	कोयला और लिग्नाइट . .	7,67,68,000	113,10,00,000
	विदेश मंत्रालय		
34	विदेश मंत्रालय	38,33,79,000	2,80,47,000
	वित्त मंत्रालय		
35	वित्त मंत्रालय . . .	10,28,04,000	..
36	स्टाम्प . .	7,82,67,000	38,26,000
37	लेखापरीक्षा . . .	19,75,00,000	..
38	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	16,11,77,000	8,35,12,000
39	पेंशनें . . .	17,78,50,000	..
40	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण . .	182,48,33,000	..
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	59,81,33,000	155,32,73,000
42	सरकारी सेवकों आदि को उधार .	..	19,33,33,000
	राजस्व और बैंकिंग विभाग		
43	राजस्व और बैंकिंग विभाग .	2,22,19,000	38,33,49,000
44	सीमा शुल्क . . .	8,92,94,000	..
45	संघ उत्पाद शुल्क . .	15,89,20,000	..
46	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर . .	14,77,60,000	..
47	अफीम और एल्कलाइड फैक्टरियां .	24,69,87,000	24,50,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय		
48	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	28,17,000	..
49	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	38,85,35,000	19,31,41,000
50	परिवार नियोजन . .	43,38,28,000	4,67,00

1	2	3	4
क्रम संख्या	शीर्षक	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	गृह मंत्रालय		
51	गृह मंत्रालय . .	87,62,000	..
52	मंत्रिमंडल . . .	64,73,000	..
53	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	2,73,08,000	..
54	पुलिस .	70,50,83,000	2,16,67,000
55	जनगणना .	1,26,79,000	..
56	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	52,34,16,000	19,39,58,000
57	दिल्ली .	44,13,68,000	26,47,00,000
58	चंडीगढ़ . . .	6,51,58,000	3,13,76,000
59	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,74,24,000	3,77,87,000
60	दादरा और नागर हवेली .	78,96,000	70,04,000
61	लक्षद्वीप . .	1,52,34,000	52,13,000
	उद्योग मंत्रालय		
62	उद्योग मंत्रालय . .	1,05,87,000	..
63	उद्योग . . .	7,98,69,000	80,04,89,000
64	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग .	12,81,28,000	10,82,78,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
65	सूचना और प्रसाण मंत्रालय .	27,95,000	..
66	सूचना और प्रचार . .	6,62,44,000	27,57,000
67	प्रसारण . . .	19,55,04,000	8,53,59,000
	श्रम मंमालय		
68	श्रम मंत्रालय . .	28,33,000	..
69	श्रम और रोजगार . .	22,46,00,000	3,15,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
70	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	4,43,60,000	..

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपये
71	न्याय प्रशासन .	12,56,000	..
	पैट्रोलियम मंत्रालय		
72	पेट्रोलियम मंत्रालय	21,49,000	..
73	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	21,73,61,000	144,97,15,000
	योजना मंत्रालय		
74	योजना मंत्रालय	2,70,000	..
75	सांख्यिकी	4,48,70,000	..
76	योजना आयोग . .	2,25,75,000	..
77	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग .	6,92,55,000	55,00,000
78	भारतीय सर्वेक्षण . .	6,24,57,000	..
79	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान . .	17,17,09,000	..
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
80	नौवहन और परिवहन मंत्रालय .	99,24,000	..
81	सड़कें . . .	30,80,99,000	32,68,04,000
82	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	10,58,01,000	72,72,88,000
83	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन .	20,78,000	2,85,53,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
84	इस्पात विभाग	26,31,04,000	1,86,59,12,000
85	खान विभाग .	10,67,000	..
86	खान और खनिज	14,50,80,000	22,49,00,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
87	पूर्ति विभाग . . .	8,14,000	..

1	2	3	4
88.	पूर्ति और निपटान . .	254,58,000	..
89.	पुनर्वास विभाग	8,41,75,000	3,17,76,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
90.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	18,70,000	..
91.	मौसम विज्ञान .	5,75,05,000	1,23,45,000
92.	विमानन	8,28,34,000	12,60,52,000
93.	पर्यटन ;	1,54,82,000	2,61,67,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
94.	निर्माण और आवास मंत्रालय	41,80,000	..
95.	लोक निर्माण .	21,49,55,000	9,80,26,000
96.	जल पूर्ति और मल निकासी	1,00,37,000	..
97.	आवास और न र विकास .	4,39,22,000	11,10,75,000
98.	लेखन सामग्री और मुद्रण	10,51,73,000	..
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
99.	परमाणु ऊर्जा विभाग . .	16,96,000	..
100.	परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	21,95,70,000	31,71,41,000
01.	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	13,92,89,000	19,34,68,000
	संस्कृति विभाग		
102.	संस्कृति विभाग . .	3,03,99,000	..
103.	पुरातत्व	2,26,66,000	..
	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग		
104.	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग . .	2,82,33,000	1,48,43,000

1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	अंतरिक्ष विभाग		
105.	अंतरिक्ष विभाग .	12,99,72,000	2,91,61,000
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
106.	लोक सभा . . .	1,54,10,000	..
107.	राज्य सभा . . .	65,45,000	..
108.	संसदीय कार्य विभाग . .	8,43,000	..
109.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1,88,000	..

..

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम : सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 4, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़ दिए गए।

Clause 2 to 4, the Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1976-77
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1976-77

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1976-77 की निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Supplementary Demands for Grants (General) were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
2.	कृषि . .	1,000	..
3.	मीन उद्योग . .	..	61,00,000

1	2	3	
4	पशु पालन और डेरी विकास .	98,95,000	..
6	खाद्य विभाग . .	304,94,51,000	25,96,51,000
7	ग्रामीण विकास विभाग . .		3,00,00,000
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां . .	49,82,000	..
10	सिंचाई विभाग	2,03,71,000	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
12	रसायन और उर्वरक उद्योग		86,96,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
13	वाणिज्य मंत्रालय . .	21,62,000	..
14	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन .	122,20,96,000	3,000
	संचार मंत्रालय		
19	डाक–तार पर पूंजी परिव्यय .	..	20,96,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
20	रक्षा मंत्रालय . .	3,26,000	4,26,88,000
21	रक्षा सेवाएं- सेना . .	89,09,38,000	..
23	रक्षा सेवाएं–वायु सेना .	22,43,82,000	
24	रक्षा सेवाएं–पेंशनें . .	2,88,93,000	
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
26	शिक्षा विभाग	8,90,000	
27	शिक्षा	2,000	
	ऊर्जा मंत्रालय		
29	ऊर्जा मंत्रालय	3,68,000	..
30	विद्युत विकास	1,000	16,58,40,000
	विदेश मंत्रालय		
32	विदेश मंत्रालय .	10,08,30,000	..

1	2	3	
	वित्त मंत्रायल		
34	स्टाम्प . .	2,74,71,000	..
36	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल .	8,62,09,000	7,90,51,000
38	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण .	1,11,85,78,000	..
39	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	14,54,00,000	..
40	सरकारी सेवकों आदि को उधार .	..	28,85,80,000
	राजस्व तथा बंकिंग विभाग		
41	राजस्व तथा बैंकिंग विभाग .	1,14,07,000	23,65,63,000
43	संघ उत्पाद शुल्क . .	78,14,000	..
44	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर . .	1,99,85,000	..
45	अफीम और अल्कलाइड फैक्टरियां	88,63,000	..
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय		
46	स्वास्थय परिवार नियोजन मंत्रालय .	8,44,000	..
47	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	10,17,54,000	8,95,46,000
48	परिवार नियोजन . .	27,20,90,000	..
	गृह मंत्रालय		
49	गृह मंत्रालय . .	50,71,000	..
50	मंत्रिमंडल . .	78,48,000	..
51	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	93,43,000	..
52	पुलिस . .	13,55,43,000	1,00,00,000
54	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1,52,55,000	2,07,11,000
55	दिल्ली .	11,67,54,000	21,92,78,000
56	चंडीगढ़ .	1,39,39,000	..
57	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	2,05,32,000	2,24,000
58	दादरा और नागर हवेली .	8,64,000	..
59	लक्षद्वीप . .	1,58,32,000	16,54,000
	उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
60	उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय .	2,78,000	..

1	2		3
61	उद्योग . .	..	26,90,25,000
62	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग .	42,81,000	2,000
	सूचना और प्रशारण मंत्रालय		
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	21,55,000	
65	सूचना और प्रचार .	2,92,61,000	
66	प्रसारण .	17,64,69,000	..
	श्रम मंत्रालय		
67	श्रम मंत्रालय . .	6,00,000	
68	श्रम और रोजगार . .	6,98,04,000	..
	पैट्रोलियम मंत्रालय		
71	पैट्रोलियम मंत्रालय . .	16,69,000	
72	पैट्रोलियम और पैट्रोरसायन उद्योग .	..	4,000
	योजना मंत्रालय		
76	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग .	2,20,90,000	..
77	भारतीय सर्वेक्षण . .	20,00,000	..
	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय		
79	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय .	29,80,000	
80	सड़कें . .	4,76,48,000	92,90,000
81	पत्तन दीप स्तम्भ और नौवहन .	4,87,80,000	18,17,75,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
83	इस्पात विभाग .	2,82,58,000	1,000
	पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय		
88	पुनर्वास विभाग . .	..	1,000
	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय		
90	मौसम विज्ञान . .	1,000	1,000
92	पर्यटन . .	24,05,000	..
	निर्माण तथा आवास मंत्रालय		
93	निर्याण तथा आवास मंत्रालय .	5,63,000	..

1	2		3
4	लोक निर्माण . .	9,19,91,000	1,61,80,000
5	आवास और नगर विकास .	2,32,39,000	1,00,000
7	लेखन सामग्री मुद्रण . .	14,88,000	..
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
8	परमाणु ऊर्जा विभाग .	1,00,000	..
9	परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	2,85,41,000	..

विनियोग विधेयक, 1977

APPROPRIATION BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तिय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तिय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एस० एम० पटेल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तिय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तिय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, अनुसूची ,खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गए।"

Clauses 2, 3 the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill"

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तमिलनाडु बजट, 1977–78— सामान्य चर्चा और लेखानुदान की मांगें 1977–78

TAMIL NADU BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1977-78.

सभापति महोदय : अब हम संख्या, 1 और 12 पर एक साथ चर्चा करेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन (मद्रास दक्षिण) : मैं लेखानुदान का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । आलोच्य वर्ष के दौरान तमिलनाडु को सूखा तथा बाढ़ का सामना करना पड़ा है । दक्षिणी जिलों में लोगों को पीने के पानी के लिए लाइनें लगानी पड़ी । दूसरी ओर मद्रास शहर बाढ़ से घिरा हुआ था । निचले स्थान जल-प्लावित थे । इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं वहां आती रहती है । तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में सूखा समस्या को स्थायी तौर पर हल करने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद तमिलनाडु ने कुछ प्रगति की है। सर्वप्रथम उपलब्धि खाद्यान्न के मूल्यों पर नियंत्रण पाना है। खाद्यान्नों को लाने ले जाने पर हटाये गए प्रतिबंध के फलस्वरूप राज्य के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्नों का स्वतंत्र रुप से लाना ले जाना सभव हुआ है। अब लोगों को अनाज आसानी से उपलब्ध होने लगा है।

आलोच्य वर्ष के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु में सराहनीय प्रगति हुई है। जहां तक भूमिहीन श्रमिकों को कृषि भूमि के वितरण का सम्बन्ध है, इस वर्ष 1700 लोगों को 13580 एकड़ भूमि बांटी गई है। इसके अतिरिक्त इस दौरान बेघर लोगों को मकानों के लिए 1,70,000 मकान स्थल भी वितरित किये गये हैं। इनमें 8000 अनुसूचित जाति और 2000 अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्लाट दिये गये हैं।

तमिलनाडु में कृषि तथा हथकरघा उद्योग ने रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान किये हैं। तमिलनाडु में लगभग एक तिहाई जनता हथकरघा उद्योग पर निर्भर है। उन लोगों को 500 रुपये प्रति करघा की दर से सहायता दी गई है। उत्पादन केन्द्रों में सुधार किया गया है। लगभग 22,000 हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों के अन्तर्गत लाया गया है और उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

देश के अन्य भागों में 20 सूत्री कार्य क्रम की भूमिका चाहे कुछ भी रही हो पर तमिलनाडु में यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। कांगेस की शानदार जीत यह बात सिद्ध करती है।

एक दशक पूर्व तमिलनाडू औद्योगिक विकास तथा विद्युत विकास के मामले में सब से आगे था पर दुर्भाग्य से आज वह दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़े रहा है। इस पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि इस अवधि के दौरान तमिलनाडू में कोई केन्द्रीय परियोजना स्थापित नहीं की गई। अब यदि सेलम इस्पात परियोजना को बजट में शामिल नहीं किया गया तो वहां के लोगों को भारी निराशा होगी। इस के गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं।

लगभग दस वर्ष पूर्व तमिलनाडु पड़ौसी राज्यों को बिजली सप्लाई करता था लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां 75 प्रतिशत की कटौती की जा रही है।

यदि विद्युत सप्लाई की स्थिति बहुत अधिक खराब हो तो किस प्रकार से कोई उद्योग चल सकता है अथवा फलफूल सकता है अथवा नया उद्योग स्थापित किया जा सकता है। विद्युत स्थिति को ठीक करने के लिये यह आवश्यक है कि नेवेली में शीघ्र ही दूसरी खान खोदी जाये। हम चाहते हैं कि एक विशाल तापीय स्टेशन स्थापित करके विद्युत सप्लाई बढ़ाई जानी चाहिये। दक्षिणी ग्रिड को मजबूत बनाया जाना चाहिये ताकि पर्याप्त विद्युत सप्लाई हो सके। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr Speaker in the chair

द्रमुक सरकार के शासन में तमिलनाडू में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 46 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। सुबह कोई कह रहा था कि उड़ीसा सब से गरीब राज्य है परन्तु मेरे विचार में तमिलनाडू उड़ीसा से भी अधिक गरीब राज्य है। वहां पर गरीबी

रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत 59.23 है जब कि उड़ीसा में 56.58 प्रतिशत है; तमिलनाडु की गरीबी का कारण द्रमुक सरकार का भ्रष्ट होना है। सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस के प्रथम प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुछ आरोपों की पुष्टि हो गई है। तमिलनाडू के लोगों के मन में आशांका है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रत्यक्षतः आरोप सिद्ध किये जाने के बावजूद भी मामले को वापस लिये जाने की मांग की जा जा रही है। प्रधान मंत्री को किसी भी हालत में यह मामला वापस नहीं लेना चाहिये। कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री वी० दण्डयुतपाणि (वेल्लोर): गिन्डी में हमारे स्वर्गीय नेता श्री कामराज का स्मारक स्थापित किया गया था। भूतपूर्व तमिलनाडू सरकार की योजना के अनुसार स्मारक के ऊपर एक बहुत बड़ा चर्खा लगाया गया था। किन्तु जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्मारक भवन का उदघाटन करने आई थी तब उस चर्खे को तोड़कर गिरा दिया गया था मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्मारक के ऊपर चर्खे को पुनः लगाया जाये। ऐसा करना हमारे महान नेता के प्रति उचित श्रद्धान्जलि है।

चुनावों के दौरान और उस से पूर्व तमिलनाडु के राज्य पाल ने कांग्रेस के लिये राज्य के जिलों का दौरा किया। मैं यह निजी अनुमान के आधार पर कह रहा हूं। राज भवन को कांग्रेस दल के कार्यालय के रुप में बदल दिया गया था। इस प्रकार राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया था।

तमिलनाडु में किसानों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। अन्य राज्यों की तुलना में वहां गन्ने का मूल्य कम दिया जा रहा हैं। सरकार को तमिलनाडु के किसानों के लिये गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिये।

ऋण सुविधाओं की कमी के कारण वहां गत दो वर्षों में कई छोटे उद्योग बन्द हो गये है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छोटी मिलों को अधिक ऋण सुविधायें दें।

सेलम इस्पात संयत्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंत्रालय ने 16 करोड रुपये की मांग की थी परन्तु भूतपूर्व सरकार ने केवल 3 करोड़ रुपये दिये। मैं वित्त तथा उद्योग मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि इस संयंत्र के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाये।

चूंकि तमिलनाडू में पन बिजली की कमी है, अतः नेवेली तापीय विद्युत संयंत्र का विस्तार किया जाना चाहिये। एन्तोर और तूतीकोरिन में स्थित तापीय पावर प्लाटों का सुधार किया जाना चाहिये।

चुनाव के दौरान भूतपूर्व सरकार ने बुनकरों के बारे में कई घोषणायें की थी, किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। बुनकरों की सहायता हेतु सरकार को हथकरघों के निर्यात के लिये अधिक कदम उठाने चाहिये।

एक वर्ष पूर्व भूतपूर्व प्रधान मंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री ने वचन दिया था कि मद्रास सिटी को कृष्णा नदी से पीने का पानी सप्लाई किया जायेगा, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

वेल्लोर से क्षयरोग सैनिटोरियम के विस्तार का मामला बहुत समय से निलम्बित पड़ा हुआ है। वहां विस्तारों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहियें।

गौरीयातम के निकट भूरथना बांध का शिलान्यास रखा गया था। सरकार को इस योजना को प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनेलवेल्लि) : यदि बजट तमिलनाडु विधान सभा में पेश किया जाता तो उस पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। परन्तु यहां हम इस पर पर्याप्त चर्चा के बिना ही इसे पास कर रहे हैं। इस प्रकार हम सम्बन्धित लोगों की भावनाओं को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विधान सभा के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायें।

बजट में राज्य परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष यह 201 करोड़ रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 260.12 करोड़ रुपये कर दिया गया है। परन्तु सरकार ने लघु उद्योगों को पर्याप्त रुपया नहीं दिया है। इसी प्रकार औद्योगिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण को दिये जाने वाले रुपये में भी बिना किसी उचित कारण के कमी की गई है। तमिलनाडु की जनता को आशा थी कि यह सरकार गलतियों और भूलों को सुधारेगी।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने नकद फसल पर कर लगाया था जो किसान के हितों के विरुद्ध था। तमिलनाडु के सभी किसान इसके विरुद्ध थे। परन्तु आपात स्थिति के कारण वे अपना विरोध प्रकट नहीं कर सके थे। बिजली के प्रति यूनिट दर में 4 पैसे की वृद्धि भी अनुचित थी। वित्त मंत्री इन सभी मामलों पर गम्भीरता से विचार करें।

दुर्भाग्य की बात है कि सरकार मद्रास को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में असफल रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जलविवाद अभी भी बना हुआ है। प्रधान मंत्री इस विवाद को शीघ्रातिशीघ्र हल करें।

केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद द्रमुक के लोगों द्वारा भड़काये जाने से मद्रास में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है। उत्तरी मद्रास में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और उन्हें चोटें आईं। इसके लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। गृह मंत्रालय इस मामले की ओर ध्यान दे और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

सदन को यह मालूम है कि करुणानिधि सरकार को भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग के कारण पिछली सरकार ने पदच्युत कर दिया था। सरकारिया जांच आयोग

की स्थापना की गई थी। आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और सात आरोपों को सही बताया है। अब द्रमुक के कुछ लोग सरकार पर मामले को वापस लेने के लिये जोर डाल रहे हैं। यदि सरकार उनका पक्ष लेती है और मामले को वापस लेती है तो यह लोगों के हितों के ही नहीं अपितु उनकी इच्छा के भी विरुद्ध होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के बारे में कहा है। आप हस्तक्षेप के विरुद्ध है। यदि ऐसा है, तो कानून को अपनी कार्यवाही करने देना चाहिये।

श्री ओ० वी० अलगेशन : (आरकोनम) : तमिलनाडु की जनता ने द्रमुक के सात साल के कुशासन के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय में यह भी मांग की गई है कि करुणानिधि और उनके सहयोगियों पर सरकारिया आयोग के निष्कर्षों के आधार पर मुकदमा चलाया जाये।

खेद का विषय है कि तमिलनाडु के राज्यपाल पर आरोप लगाये गये हैं। यह बात बहुत ही अनुचित है कि राज्यपाल पर एसे आरोप लगाये जायें। उन्होंने तमिलनाडु के हित में बहुत अच्छा काम किया है। राज्यपाल का पद राजनीतिक होता है और उस पर सदैव यह शक किया जाता है कि वह केन्द्र या राज्य में सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेता है। तथापि राज्यपाल ने त्यागपत्र देने की बात कही है। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जायेगा और उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा, परन्तु राज्यपाल पर ऐसे आरोप न लगाये जायें।

मैं आशा करता हूं कि तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे। वास्तव में प्रधान मंत्री ने अपने प्रथम प्रस सम्मेलन में इस बारे में आश्वासन दिया था। इस दौरान तमिलनाडु के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो उनकी समस्याओं को पूरी तरह हल कर सके। मैं आशा करता हूं कि नियमित बजट नई सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा और नई विधान सभा द्वारा पास किया जायेगा।

द्रमुक शासन में बिजली विभाग की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसमें कर्मचारियों की भरमार हो गई है। इसमें कुशलता नाम की चीज़ है ही नहीं। अब बिजली बोर्ड द्वारा राजस्व योजनाएं लागू की गई थीं। उनमें से एक अतिरिक्त जमा योजना थी और दूसरी पम्प सेटों पर अधिकार लगाना था। मुझे बताया गया है कि चुनावों से पहले यह वसूली बन्द कर दी गई थी और मुझें आशा है कि इसे हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जायेगा। मुझे आशा है कि नये बजट में प्रति एकड़ 20 रुपये के शुद्ध उपकर को भी समाप्त कर दिया जायेगा।

कल कुछ लोग 20 सूत्री कार्यक्रम का मजाक उड़ा रहे थे। 20 सूत्री कार्यक्रम समाज के गरीब लोगों की जीवन्त समस्याओं से सम्बन्धित है। 20 सूत्री कार्यक्रम का मजाक उड़ाते समय वे कार्यक्रम के प्रणेता का ही मजाक नहीं उड़ाते वरन् वे उससे लाभ पाने वालों का भी मजाक उड़ाते हैं। आशा है कि लोग सही रुख अपनायेंगे और कार्यक्रम का मजाक नहीं उड़ायेंगे।

राज्य भर में उद्योगों में समान न्यूनतम वेतन लागू किया जाये। ऐसा करने के लिए एक तंत्र बनाया गया था। इसे अधिक प्रभावी बनाया जाये और तमिलनाडु के सभी गांवों में न्यूनतम मजदूरी लागू की जाये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30,000 से अधिक हथकरघा बुनकरों के परिवार हैं। उन्हें सूत्र के ऊंचे मूल्यों से नुकसान हो रहा है। उनकी यह कठिनाई दूर की जानी चाहिये। वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक बुनकर को ऋण देने के लिये कहा गया था। आशा है कि वित्त मंत्री बैंकों को इस प्रकार के ऋण शीघ्र देने की हिदायतें देंगे।

मद्रास शहर को बाढ़ की हानि से बचाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने बहुत से अच्छे प्रस्ताव किये हैं जिनकी जांच की जाये। परन्तु उनका एक प्रस्ताव सराहनीय नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चिंगलपट जिले में एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई करने वाले चम्बारम-पक्कम टैंक को मद्रास सिटी के लिये पानी की सप्लाई का स्रोत बनाया जाये। यह धारणा गलत है कि सिंचाई के स्रोत को पानी की सप्लाई का स्रोत बनाने से बाढ़ की समस्या स्वयं हल हो जायेगी।

यह तथ्य नहीं है। आशा है कि ऐसा कुछ नहीं किया जायेगा जिससे चिंगलपट जिले के लोगों को हानि हो।

एक जनरल अस्पताल को स्नातकोत्तर संस्थान में बदलने का सुझाव है। मेरा सुझाव यह है कि ऐसा करना राज्य के हित में नहीं होगा। यदि दक्षिण में एक स्नातकोत्तर मेडिकल संस्थान स्थापित किया जाना है, तो एक नया संस्थान स्थापित किया जाये ताकि यह एक वास्तविक अनुसंधान संगठन का दर्जा प्राप्त कर सके।

श्री के० मायाथेवर (डिंडीगुल) : नये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान का स्वागत है। परन्तु मेरी यह मांग है कि तमिलनाडु को अधिकाधिक धन दिया जाये क्योंकि तमिलनाडु के लोगों ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि के भ्रष्ट प्रशासन में बहुत कठिनाइयां उठाई हैं।

श्री करुणानिधि ने दो नारे लगाये थे। उनमें से एक था राज्य की स्वायत्तता। अन्ना द्रमुक राष्ट्र को एकता चाहता है। इसी कारण तमिलनाडु के लोगों ने अन्ना द्रमुक के पक्ष में मत दिया है।

उनका दूसरा नारा था स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। यह नारा गलत है। द्रमुक सरकार ने सार्वजनिक व्यक्ति आचार संहिता अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी विधान सभा सदस्य, संसद् सदस्य या मंत्री के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत कर सकता है यदि उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हों। परन्तु इस कानून की अजीब बात यह है कि यदि शिकायत करने वाले के आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो उसे उसी न्यायालय द्वारा स्वतः दोषी पाया जायेगा और सात वर्ष की कारावास की सजा मिलेगी। न्यायपालिका के इतिहास में मैंने ऐसे कानून के बारे में कभी नहीं सुना। मैं इस काले कानून को निरसन करने के लिये इस सरकार से अनुरोध करता हूं।

मद्रास सिटी में परिवहन हड़ताल चल रही है। इससे मद्रास सिटी में 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हड़ताल आंशिक रूप से वापस ली गई है। 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार छात्रों और अधिकारियों को उनके गन्तव्य स्थानों पर पहुंचाने के लिये 50,000 रुपये व्यय कर रही है। तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को हड़ताल तुरन्त समाप्त कराने के लिये कहा जाये और बसें नियमित रूप से चलाई जायें।

समाचारपत्रों में कहा गया है कि 13.82 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ-व्यवस्था होगी। घाटे की यह अर्थ-व्यवस्था सरकार द्वारा तमिलनाडु में राहत कार्य पर रुपया खर्च करना है। अभी भी सारे राज्य में या कम से कम चार जिलों में राहत कार्य चालू रखना है। रामनाथपुरम, मदुरै, सेलम और धर्मपुरी सूखे से प्रभावित हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को हिदायत दे कि इन चार जिलों में भू-राजस्व की वसूली न की जाये, सरकार द्वारा दिये गये कृषि ऋणों की वसूली स्थगित की जाये और सूखा राहत कार्य पुनः चालू किये जायें।

तमिलनाडु में पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार था। इस चुनाव से यह भ्रष्टाचार कुछ समाप्त हो गया है लेकिन सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार अभी भी है। गृह मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। बिना पैसे दिये वहां किसी भी श्रेणी की नौकरी प्राप्त करना संभव नहीं था। गरीब किसानों के लड़कों को कोई नौकरी नहीं मिलती थी। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० मायावेवर : केन्द्र में जनता सरकार बन चुकी है लेकिन तमिलनाडु में आपातकालीन स्थिति समाप्त किये जाने के बाद होटल वालों ने एक रुपये में जनता खाना उपलब्ध करना बंद कर दिया है। जनता सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों को जनता खाना उपलब्ध करे।

***श्री एस० जी० मुरुगाइयन (नागापट्टीनम) :** सबसे पहले मैं यह मांग करूंगा कि तमिलनाडु विधान सभा चुनाव यथाशीघ्र कराये जायें। संसदीय चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में भ्रष्ट करुणानिधि सरकार को रद्द किया जाना उचित और सही कार्यवाही थी।

सरकारिया आयोग ने करुणानिधि सरकार पर लगाये गये अनेक आरोपों में से 7 आरोपों पर अपना निर्णय दे दिया है। केन्द्रीय सरकार को करुणानिधि सरकार के विरुद्ध इन 7 आरोपों पर कार्यवाही करनी चाहिये तथा अन्य आरोपों की कठोरता से जांच करनी चाहिये।

तमिलनाडु की जनता को चुनाव द्वारा अपनी इच्छा की सरकार बनाने का अवसर देना चाहिये। चुनाव कराने का आदेश देने से पहले मतदाता सूची पूरी की जानी चाहिये क्योंकि हाल में हुए संसदीय चुनावों में हजारों लोगों के नाम मतदाता सूचियों में नहीं थे। विधान सभा के चनावों में यह नहीं होना चाहिये।

यह बात खेदजनक है कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता उन्मूलन करने सम्बन्धी कानून के कुछ उपबन्धों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में ऋणदाताओं (महाजनों) ने उच्चतम न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिये हैं। केन्द्रीय सरकार को ये रोकादेश समाप्त कर देने चाहिये क्योंकि यहां के लोग गरीब खेतिहर मजदूर हैं। पता नहीं ऋण वसूली अधिनियम के कार्यान्वयन में ढील के क्या कारण हैं। छोटे किसानों को गम्भीर सूखा पड़ने के दौरान ऐसे ऋणों की अदायगी से छूट दी जानी चाहिए। इसी तरह भूमि की अधिकतम सीमा सम्बधी अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। खेती करने वाले मजदूर को उस कृषि भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी अधिनियम को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

पिछले तीन वर्षों से तमिलनाडु में निरन्तर सूखा पड़ रहा है जो इतना गम्भीर है कि मनुष्यों और पशुओं के लिये पीने के पानी का अत्यधिक अभाव है। सूखा राहत कार्यवाही करने के अलावा लोगों को पेय जल की सुविधायें भी दी जानी चाहियें। केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य के लिये अधिकाधिक निधि का आवंटन करना चाहिए।

कावेरी जल विवाद भी शीघ्र ही हल किया जाना चाहिये। इस हेतु गठित आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच उत्पन्न नदी जल विवादों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैंने सारी चर्चा ध्यानपूर्वक सुनी है। सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा। ठीक ही कहा गया है कि सूखा जैसी गम्भीर समस्या को स्थायी तौर पर हल करना है। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार भी इस दिशा में कार्यवाही करनी आरम्भ कर दे। सलेम इस्पात संयंत्र को चलाने के लिये भी अपील की गई है। मई में बजट प्रस्तुत करने से पहले हम इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार करेंगे। यह भी कहा गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी है। चूंकि यह राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है, अतः ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। लेकिन यदि यह ठीक है तो हम इसके कारणों का पता लगायेंगे।

द्रमुक के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन इसकी जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसने इस मामले की जांच की है। (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री ने भी इस ओर अपना भाषण में संकेत किया है। चुनावों के बारे में प्रधान मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1977–78 के लिए तमिलनाडु की लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं

The following demands for grants on account in respect of Tamilnadu for 1977-78 were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	भू-राजस्व विभाग . . .	1,69,66,000	..
2.	आबकारी विभाग . . .	25,83,000	..
3.	मोटर वाहन अधिनियम-प्रशासन . .	37,79,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
4.	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क प्रशासन . . .	2,08,52,000	..
5.	स्टाम्प प्रशासन . .	23,25,000	
6.	पंजीकरण	88,63,000	
7.	राज्य विधान मंडल . . ;	11,13,000	..
8.	निर्वाचन	11,71,000	..
9.	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाप .	5,30,46,000	..
10.	दुग्ध पूर्ति स्कीमें . . .	41,54,000	..
11.	जिला प्रशासन . . .	6,35,55,000	..
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1959 का प्रशासन . .	54,94,000	
13.	न्याय प्रशासन . . .	1,80,39,000	..
14.	जेल	2,19,29,000	..
15.	पुलिस	13,15,09,000	..
16.	दमकल सेवा	96,00,000	..
17.	शिक्षा	61,29,18,000	..
18.	चिकित्सा	18,08,17,000	..
19.	लोक स्वास्थ्य	11,03,73,000	
20.	कृषि	14,26,65,000	..
21.	मीन उद्योग	77,97,000	..
22.	पशु पालन	4,11,97,000	..
23.	सहकारिता . .	2,22,58,000	..
24.	उद्योग	1,35,69,000	..
25.	सिनकोना	38,23,000	..
26.	हथकरघा और वस्त्र उद्योग . .	1,36,78,000	..
27.	खादी	25,84,000	..
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि .	14,41,51,000	..
29.	श्रमिक और कारखाने . . .	1,64,00,000	..
30.	समाज कल्याण . . .	1,81,76,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
31.	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का कल्याण आदि . . .	6,19,54,000	..
32.	पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि . .	2,64,01,000	..
33.	आवास	3,93,96,000	..
34.	नगर विकास	3,47,97,000	..
35.	नागरिक पूर्ति	1,60,44,000	..
36.	सिंचाई . . . ;	7,97,14,000	..
37.	लोक निर्माण—इमारतें . .	1,14,78,000	..
38.	लोक निर्माण-स्थापना तथा औजार और संयंत्र	2,13,81,000	..
39.	सड़कें और पुल . . .	9,94,38,000	..
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन .	78,60,000	..
41.	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता . .	5,000	..
42.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ . .	7,25,08,000	..
43.	विविध	18,01,40,000	..
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	2,60,12,000	..
45.	वन विभाग	1,72,14,000	..
46.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . .	5,45,18,000	..
47.	जमींदारों को मुआवजा . . .	..	9,17,000
48.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी परिव्यय	..	30,38,000
49.	कृषि पर पूंजी परिव्यय . . .	..	5,14,36,000
50.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	..	2,32,06,000
51.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . .	..	12,98,49,000
52.	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय—इमारतें .	..	3,82,40,000
53.	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय . .	..	3,38,52,000
54.	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय	..	26,52,000
55.	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	..	1,53,42,000
56.	विविध पूंजी परिव्यय . . .	..	3,17,18,000
57.	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम .	..	33,37,80,000

तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

TAMIL NADU APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was dopted.

श्री एच० एम० पटेल : : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Farmula and the Title were added to the bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMILNADU), 1976-77

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1976–77 की अनुदानों की पूरक मांगें (तमिलनाडु) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following supplementary demands for grants (Tamilnadu) for 1976-77 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग . . .	34,52,000	—
2.	आबकारी विभाग . . .	7,38,000	—
3.	मोटर वाहन अधिनियम–प्रशासन . .	11,33,000	—
4.	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क-प्रशासन	85,37,000	—
6.	पजीकरण	19,78,000	—
7.	निर्वाचन	1,75,78,000	—

1	2	3	
9.	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय का स्टाफ .	2,02,55,000	—
10.	जिला प्रशासन	52,80,000	—
12.	तमिलनाडु हिन्दु धार्मिक और पूर्त्त अक्षय निधि अधिनियम 1959 का प्रशासन . .	6,10,000	—
13.	न्याय प्रशासन . . .	33,47,000	—
14.	जेलें	33,24,000	—
15.	पुलिस	1,93,04,000	—
17.	शिक्षा	17,45,33,000	—
18.	चिकित्सा	6,03,00,000	—
19.	लोक स्वास्थ्य	14,68,03,000	—
20.	कृषि	16,000	—
22.	पशुपालन	2,00,23,000	—
23.	सहकारिता	66,76,000	—
24.	उद्योग	1,000	—
25.	सिनकोना	8,18,000	—
26.	हथकरघा और वस्त्र उद्योग . .	3,43,65,000	—
27.	खादी	11,64,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि .	4,65,60,000	—
29.	श्रमिक और कारखानें . . .	42,57,000	—
30.	समाज कल्याण	53,38,000	—
31.	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण . . .	1,54,31,000	—
33.	आवास	1,74,65,000	—
34.	नगर विकास . . .	48,44,000	—
35.	नागरिक पूर्ति	34,23,000	—
36.	सिंचाई	3,50,88,000	—
37.	लोक निर्माण-इमारतें . . .	96,28,000	—
38.	लोक-निर्माण स्थापना तथा औजार और संयंत्र .	1,35,39,000	—
39.	सड़कें और पुल	9,10,76,000	—

1	2	3	
41.	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता . .	84,47,000	—
42.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	2,64,53,000	—
43.	विविध	5,000	—
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण . . .	39,38,000	—
45.	वन विभाग	39,21,000	—
46.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . .	1,03,77,000	—
47.	जमीदारों को मुआवजा . . .	—	92,00,000
49.	कृषि पर पूंजी परिव्यय . . .	—	5,000
50.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	—	3,98,94,000
51.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . . .	—	3,50,10,000
52.	लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय इमारतें .	—	56,16,000
53.	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय . .	—	1,71,26,000
54.	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	1,000
55.	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	—	27,67,000
56.	विविध पूंजी परिव्यय . . .	—	6,62,51,000
57.	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम .	—	52,94,11,000

तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1977

TAMIL NADU APPROPRIATION BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच० एमल पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 से 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 to 3, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नागालैंड बजट, 1977–78

NAGALAND BUDGET, 1977

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर) : नागालैंड देश की राजधानी से बहुत दूर है यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है। नागालैंड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि शामिल हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों से बड़ा क्षेत्र है। सौभाग्यवश ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र हैं।

[कुमारी अभा मैत्ती पीठासीन हुईं]

[KUMARI ABHA MAITI IN THE CHAIR]

नागालैंड की 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है लेकिन वहां उत्पादकता देश में सब से कम है। नागालैंड में सब से कम उत्पादन होने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहियें।

कुछ समय से नागालैंड में कानून और व्यवस्था की समस्या बनी हुई थी जिसे बहुत सीमा तक हल कर लिया गया है। अब हमें नागालैंड में विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देने के प्रयास करने चाहिये।

नागालैंड में औसतन 60 इंच से 100 इंच तक बर्षा होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षा की दृष्टि से यह अच्छा क्षेत्र है। फिर भी यहां पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये गये हैं। मुझे आशा है कि नागालैंड के जल संसाधनों का पता लगाने के लिए बहुत ही सतर्कता से प्रयत्न किये जायेंगे क्योंकि जब तक जल संसाधनों का उपयुक्त विकास नहीं होगा, तब तक भूमि या खेतीबारी का विकास नहीं हो पायेगा। नागालैंड में हमें कृषि विकास के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये तथा जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिये।

नागालैंड में 15 प्रतिशत से भी कम वन सम्पदा है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को 60 प्रतिशत वन क्षेत्र दिये जाने चाहिये। तथ्य तो यह है कि अब नागालैंड में वनों को अन्धाधुन्ध नष्ट किया जा रहा है। यद्यपि चालू बजट में वनों के लिए आवंटन किया गया है लेकिन नागालैंड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए हमारा विचार है कि उस क्षेत्र की राशि में वृद्धि की जानी चाहिये।

यह सौभाग्य की बात है कि नागालैंड में जो तकनीकी सवक्षण किया गया है उससे यह पता चला है कि वह क्षेत्र काफी और बागानों के विकास के लिए काफी उपयोगी है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि चाय तथा काफी बोर्ड से वहां प्रयोगात्मक बागान लगाने के लिए कहा जाना चाहिये। यदि यह प्रयोग सफल सिद्ध हो तो उसके बाद वहां बड़े पैमाने पर बागान लगाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये। नागालैंड का क्षेत्र उद्यान विकास के लिए भी काफी लाभकारी है परन्तु आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसके लिए तकनीकी विभाग बनाया जाये। इस क्षेत्र की आवश्यकतायें अलग हैं, अतः वहां का तकनीकी विभाग भी कुछ अलग ढंग का होना चाहिये।

शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था भी की गई है परन्तु जिस प्रकार की शिक्षा नागाओं के लिए अपेक्षित है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमें कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य करना होगा। कृषि के साथ-साथ विपणन की ओर भी अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। नागालैंड के लोगों में आपसी सहयोग की भावना काफी अधिक है। अतः सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कृषि विकास तथा सिंचाई विकास के सामान्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का प्रयास करना चाहिये। इससे बेकार के खर्चे में काफी बचत होगी। नागा समुदाय अथवा समस्त उत्तर-पूर्व के समुदाय पारम्परिक सहकारिता एव सहयोग की भावना से ओत-प्रोत हैं। इस भावना को सुदृढ़ सहकारी आन्दोलन के लिए प्रयोग में

[श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे]

जाया जा सकता है। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अतः इस निगम को इस कार्य के लिए उपयुक्त अनुदान दिया जाना चाहिये तथा साथ ही सहकारी विकास के आन्दोलन की जिम्मेदारी इस पर पूरी तरह से सौंप दी जानी चाहिये।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सुझावों को पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये। मैंने यह सुझाव उस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से दिये हैं अतः उन पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

श्रीमती रानो एम० शैजा (नागालैंड) : नागालैंड के बजट का समर्थन करते हुए मैं सदन का ध्यान उन गैर-लोकतांत्रिक तरीकों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनके आधार पर आज नागालैंड में शासन चलाया जा रहा है। अतः मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस स्थिति की ओर इसलिए आकृष्ट करना चाहती हूं ताकि वहां के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए कुछ किया जा सके।

नागालैंड के लोग यह नहीं जानते कि शांति क्या है। वहां कांग्रेस ने जनता का दमन बहुत ही निर्मम ढंग से किया हुआ है। वहां के अनेक जन नेताओं को तंग किया गया है तथा वहां के उच्च अधिकारियों ने उन्हें अकारण ही जेल डाल दिया है। उच्च अधिकारियों ने इस प्रकार के निर्मम कार्य कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही किये क्योंकि वह नेता कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का समझौता कर सकने में असमर्थ रहे।

नागालैंड में आपात स्थिति के दौरान संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी का काफी अधिक दमन किया गया। एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने वहां कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य किया। उसे वहां के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया। चुनावों के दौरान इस अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए हैलीकाप्टर तथा सरकारी वाहनों से यात्रा की। चुनावों के दौरान कांग्रेस ने जनता पार्टी के विरुद्ध यह भ्रामक प्रचार भी किया कि यदि यह 'हिन्दू' पार्टी सत्ता में आ गई तो यह इसाई धर्म तथा अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगी। इस प्रकार का साम्प्रदायिक विष वहां चुनावों के दौरान घोला गया। अतः मैं यह चाहती हूं कि अब जबकि जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, वह एक संसद् सदस्य की अध्यक्षता में एक ऐसी जांच समिति नियुक्त करे जो नागालैंड जाकर आपात स्थिति के दौरान किये गये भ्रष्टाचारों तथा ज्यादतियों की जांच करे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय नागालैंड में स्थिति शांतिपूर्ण है। अतः वहां पर लोकप्रिय सरकार बनाई जानी चाहिये ताकि नौकरशाही का शासन समाप्त किया जा सके। मुझे आशा है कि नई सरकार मई के अन्त तक विधान सभा के नये चुनावों की घोषणा कर देगी।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरक मणिपुर) : नागालैंड के बजट का समर्थन करते हुये मैं सदन के समक्ष यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि नागालैंड देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र से सम्बद्ध नाजुक क्षेत्र है तथा इसकी समस्याओं पर विचार करते समय हमें राजनीतिक दल की भेदभावना को एक ओर छोड़ कर, इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर विचार करना चाहिये। नागालैंड राज्य में गत कुछ महीनों से काफी अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है ; हम मणिपुर वाले लोग पड़ौसी होने के नाते वहां की गतिविधियों के बारे में काफी अच्छी तरह जानते है। श्रीमती शैजा ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान नौकरशाही द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच की जानी चाहिये।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस सम्बन्ध में दो तीन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रथम बात तो यह है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों की नई सरकार के बारे में अपनी शंकायें है क्योंकि जब हम अपने राजनीतिक अस्तित्व तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम वैयक्तिक दावों के लिए संघर्ष कर रहे थे तब हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई छोटे राज्य बनाने के पक्ष में न ही थे। अतः अब मैं यह चाहता हूं कि नई सरकार इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में अपने विचार व्यक्त करे। उनके इस सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण से हमारी शंकाओं का निवारण हो जायेगा। वैसे मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करता हूं कि हम कांग्रेस नेताओं के प्रति अभारी है क्योंकि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा छोटे क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान को समझने तथा उन्हें सुलझाने का काफी प्रयास किया मुझे आशा है कि हमें तथा छोटे राज्यों को नई सरकार से भी इसी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त होती रहेगी।

जहां तक नागालैंड के बजट का सम्बन्ध है, इसके बारे में श्री शिन्दे ने ठीक ही कहा है कि वह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है तथा वहां कृषि के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है। नागालैंड तथा समीपवर्ती मणिपुर के क्षेत्र में हथकरघा उद्योग काफी लोकप्रिय है। पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों के जनजीवन में हथकरघे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है तथा वहां के परिधान से ही यह पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति कौन सी आदिम जाति से सम्बद्ध है। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि नागालैंड में एक विशेष हथकरघा निदेशालय स्थापित किया जाये क्योंकि नागालैंड के कपड़े की विश्व में भी मांग हो सकती है। यह कपड़ा देश में भी पसंद किया जाता है।

नागालैंड में सिंचाई के लिए जल की कमी है वहां पर वनों के संरक्षण और जल की व्यवस्था के लिए प्रबन्ध किये जाने चाहिये। वित्त मंत्री जी को चाहिये कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र और छोटे राज्यों के प्रति नई सरकार की नीतियों को स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सदस्यों ने जो कृषि विकास की बात कही है मैं उससे सहमत हूं। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही हमारी नीति का प्रमुख अंग है। हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है अतः इस बारे में मतभेद हो ही नहीं सकता। जहां तक आपात स्थिति के दौरान नागालैंड में की गई ज्यादातियों का प्रश्न है, हम उनकी जांच करेंगे। उचित कार्यवाही भी की जायेगी।

आशा है सभा इन मांगों को पास कर देगी।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1977-78 के लिय लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें नागालैंड मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for Grants on Account for the year 1977-78 were put and adopted :—

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2		3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मण्डल	17 08,000	—
3.	मंत्रि परिषद् . . .	3,57,000	—
4.	न्याय प्रशासन	5,43,000	—

1	2	3	4
5.	निर्वाचन	9,90,000	—
6.	भूराजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	6,88,000	—
7.	आबकारी	3,33,000	—
8.	बिक्री कर	3,96,000	—
9.	वाहनों पर कर	2,10,000	—
12.	सिविल सचिवालय	49,29,000	—
13.	जिला प्रशासन, विशेष कल्याण स्कीम और जनजाति परिषद्	81,67,000	—
14.	राजकोष और लेखा प्रशासन	4,50,000	—
15.	कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष खर्च जिसमें पेंशन और उपदानों में किया जाने वाला अंशदान शामिल है	4,17,000	—
16.	ग्राम रक्षक	20,00,000	—
17.	सिविल पुलिस और दमकल सेवक एकक	2,97,48,000	4,17,000
18.	जेलें	20,00,000	—
19.	लेखन सामग्री और मुद्रण	14,58,000	—
20.	सतर्कता आयोग	3,33,000	—
21.	वर्कशाप संगठन	4,55,000	
22	नागालैंड सदन	2,29,000	—
23	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1,54,000	
24	राज्य लाटरियां	7,48,000	—
25.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	7,08,000	—
26.	शिक्षा	2,91,03,000	—
27.	कला और संस्कृति और गजेटियर्स एकक	4,98,000	—
28.	चिकित्सा लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	1,60,15,000	—
29.	नगर विकास	6,31,000	—
30.	सूचना, प्रचार और पर्यटन	14,88,000	—
31.	रोजगार कार्यालय	1,08,000	—
32.	श्रम	63,000	—
33.	सामुदायिक विकास	35,42,000	—
34.	समाज कल्याण	21,48,000	—
35.	सैनिक नाविक और वायु सैनिक बोर्ड	50,000	—

1	2	3	
36.	समाज सुरक्षा, कल्याण और सामुदायिक सेवाएं .	7,50,000	—
37.	मूल्यांकन एकक . .	67,000	—
38.	सहकारिता	13,88,000	15,79,000
39.	सांख्यिकी	6,08,000	—
40.	तोल और माप . .	1,92,000	—
41.	पूर्ति कार्यालय कलकत्ता . . .	71,000	—
42.	कृषि, लघु सिंचाई, मीन उद्योग आदि	97,35,000	—
43.	भूमि संरक्षण .	33,24000	—
44.	अनाज पूर्ति स्कीम . . .	20,71,000	1,15,40,000
45.	पशु पालन और डेरी विकास . .	60,70,000	83,000
46.	वन	1,18,29,000	—
47.	उद्योग	58,98,000	13,54,000
48.	खनिज विकास	12,90,000	—
49.	विद्युत परियोजनाएं . . .	1,61,12,000	79,58,000
50.	सड़क परिवहन	32,08,000	12,91,000
51.	मकान बनाने के लिए उधार तथा सरकारी सेवकों को उधार	—	5,83,000
52.	लोक निर्माण, आवास सड़कें और पुल .	6,60,11,000	2,60,56,000
53.	कार्यानुरूप इमारतें और अन्य विकास स्कीमें .	—	81,59,000
54.	जल पूर्ति स्कीमें	75,00,000	55,83,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नागालैंड, विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

NAGALAND APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1977

श्री एच० एम० पटेल: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : हम खण्ड वार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clause 2 and 3, the Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड), 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND), 1976-77

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1976-77 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following Supplementary Demands for Grants (Nagaland) for the year 1976-77 were put and adopted :

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
5.	निर्वाचन . .	6,78,000	—
6.	भू राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	6,39,000	—
7.	आबकारी	46,000	—
8.	बिक्री कर	1,19,000	—
9.	वाहनों पर कर .	91,000	—
12.	सिविल सचिवालय . . .	7,50,000	—
15.	कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष खर्च जिसमें पेंशन और उपदानों में किया जाने वाला अंशदान शामिल है . .	25,00,000	—
17.	सिविल पुलिस और दमकल सेवा एकक	48,49,000	1,63,000
18.	जेलें . .	21,60,000	—
19.	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,50,000	—
24.	राज्य लाटरियां . . .	6,31,000	—
25.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	8,95,000	—
26.	शिक्षा	38,49,000	—
27.	कला और संस्कृति तथा गजेटियर्स एकक	1,44,000	—
30.	सूचना, प्रचार और पर्यटन . . .	8,03,000	—
33.	जनजाति विकास खंड, सामुदायिक परियोजनाएं आदि	2,20,000	—
36.	समाज सुरक्षा, कल्याण और सामुदायिक सेवाएं .	35,00,000	—
38.	सहकारिता	1,63,000	—
42.	कृषि, लघु सिंचाई, मीन उद्योग आदि .	8,71,000	—
44.	अनाज पूर्ति स्कीम . .	18,38,000	—
47.	उद्योग . . .	1,000	15,60,000
49.	विद्युत परियोजनाएं . . .	55,57,000	—
52.	लोक निर्माण आवास सड़कें और पुल . .	—	37,55,000
53.	कार्यानुरूप इमारतें और अन्य विकास स्कीमें .	—	1,000
54.	जल पूर्ति स्कीमें	2,16,47,000	—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नागालैंड (विनियोग) विधेयक, 1977
NAGALAND (APPROPRIATION) BILL, 1977

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए नागालैंड राज्य की संचित निधि से कतिपय और राशिओं के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर वि वा किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : हम अब खंडवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 अनुसूची, खंड 1, अधिनियम : सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़े गए

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

पांडिचेरी बजट, 1977–78—सामान्य चर्चा

और

लेखानुदानों की मांगें, 1977–78

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1977-78

AND

PONDICHERY BUDGET, 1977-73—GENERAL DISCUSSION

श्री अरन्विद बाला पजनौर (पाडिचेरी) : संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जारी नहीं रखा जा सकता । पाण्डिचेरी में विधान सभा को 28 मार्च, 1974 को भंग किया गया था । पर आपात स्थिति के कारण वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाती रही । अब चूंकि आपात स्थिति हटा ली गई है अत: वहां शीघ्र चुनाव कराये जाने चाहियें । यदि कोई व्यक्ति यह मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाता है तो बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी । पाण्डिचेरी में 10 वर्षों से नगर-पालिका के लिए भी चुनाव नहीं हुए हैं । उन्हें भी शीघ्र कराया जाये ।

पाण्डिचेरी की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र तीन राज्यों के बीच फैला हुआ है और मुझे कम से कम 1000 मील तक घूमना पड़ता है । अत: मेरा अनुरोध है कि संघ राज्य क्षत्रों के लिए निधि का आवंटन करते समय पाण्डिचेरी की विशेष स्थिति को ध्यान में रखा जाये । उसके लिए पर्याप्त निधि का आवंटन होना चाहिये ।

पिछले तीन वर्षों से मैं पाण्डिचेरी में विश्वविद्यालय खोले जाने का मामला उठाता आ रहा हूं । यह मामला पिछले 7 वर्षों से लटका हुआ है । वित्त मंत्री हमें स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या आगामी वित्त वर्ष में वहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो जायेगी ।

मुझे आशा है कि वर्तमान वित्त मंत्री गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने की ओर पूरा ध्यान देंगें । इस उद्देश्य के लिए पाण्डिचेरी, कराइक्कल तथा माहे में एक-एक केन्द्र बनाया जाना चाहिए ।

जब तक एक तापीय परियोजना तैयार नहीं हो जाती तब तक हमारी समस्या नहीं सुलझ सकती । यह एक पिछड़ा क्षेत्र है और आपने छोटे तथा मध्यम आकार के कई उद्योग वहां लगाये हैं । पर बिजली का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी है ।

कराइक्कल और माहे में छोटे पत्तन बनाये जाने चाहियें । इससे एक तो भीड़-भाड़ कम होगी और दूसरे मद्रास और कुड्डालोर के लिये पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था भी हो जायेगी ।

चूंकि त्रिचि में एक भारी औद्योगिक संयंत्र लगा हुआ है अत: कराइक्कल में एक आनुषंगिक संयंत्र लगाया जाना चाहिये । इससे पाण्डिचेरी में व्याप्त भीषण बरोजगारी को समाप्त किया जा सकेगा ।

सरकार ने सभी राज्यों की राजधानियों में हवाई अड्डे बनाने का वचन दिया है । पाण्डिचेरी में भी एक हवाई अड्डा बनना चाहिये ।

आश्रम की प्रबन्ध समिति के अधिकारों का अतिलंघन किया गया है। मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले पर पुनर्विचार कर समिति को न्यूनतम सुविधाएं तो प्रदान करें। आजम बहुत अच्छी संस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय ताल-मेल को बढ़ावा देती है। आप उसकी ओर ध्यान दें।

कराइक्कल पाण्डिचेरी राज्य का अनाज का भंडार है फिर भी वहां चावल के भाव दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। सरकार को उस क्षत्र में कृषि के विकास हेतु भूमिगत जल के उपयोग के लिए धन आवंटित करना चाहिये।

कराइक्कल और पाण्डिचेरी के सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। पाण्डिचेरी को बी-2 श्रेणी का और कराइकल को सी श्रेणी का नगर बनाया जाना चाहिये।

पाण्डिचेरी में एक न्यायिक आयोग का न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिये। आशा है आप इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): सदस्य महोदय ने राष्ट्रपति शासन की सीमा 3 वर्ष तक होने का उल्लेख किया है। पर राष्ट्रपति द्वारा 8 फरवरी, 1977 को एक अधिसूचना जारी की गई थी और पहले आदेश में उल्लिखित 'तीन वर्ष' शब्द के स्थान पर 'चार वर्ष' प्रतिस्थापित किया गया था।

श्री पजनौर ने जिन अन्य बातों का उल्लेख किया है उन पर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1977–78 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें (पाण्डिचेरी) मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following Demands for Grants on Account (Pondicherry) for the year 1977-78 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	विधान सभा	1,88,000	..
2	प्रशासक	5,000	..
3	मंत्रि-परिषद्	63,000	..
4	न्याय प्रशासन . . .	7,32,000	..
5	निर्वाचन	82,000	..
6	राजस्व	27,62,000	..
7	बिक्री कर	3,45,000	..
8	वाहनों पर कर . . .	92,000	..

1	2	3	
9	सचिवालय	11,95,000	..
10	जिला प्रशासन . .	31,29,000	5,16,000
11	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	6,79,000	..
12	पुलिस	37,88,000	..
13	जेलें	2,16,000	..
14	लेखन सामग्री और मुद्रण .	7,01,000	..
15	विविध प्रशासनिक सामान्य सेवाएं .	9,58,000	..
16	सेवा निवृत्ति लाभ .	14,52,000	..
17	लोक निर्माण . .	1,27,67,000	77,63,000
18	शिक्षा .	1,76,89,000	13,000
19	चिकित्सा	1,01,19,000	
20	सूचना और प्रचार .	5,93,000	
21	श्रम और रोजगार . .	7,64,000	..
22	समाज कल्याण . .	34,02,000	9,000
23	सहकारिता	12,58,000	12,45,000
24	विविध सामान्य आर्थिक सेवाएं . .	3,53,000	..
25	कृषि	38,58,000	2,15,000
26	पशुपालन	10,97,000	83,000
27	मीन उद्योग	14,15,000	55,000
28	सामुदायिक विकास . .	20,58,000	42,000
29	उद्योग . . .	12,03, 000	16,04,000
30	खाद्य और पोषाहार . . .	1,76,000	..
31	बिजली	1,06,64,000	80,73,000
32	पत्तन और नौचालन . . .	1,98,000	96,000
33	सरकारी कर्मचारियों को ऋण . .	..	12,80,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977–78

PONDICHERRY APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1977-78

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के एक भाग की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़े गए ।

Clause *2*, *3*, the schedule, Clause *1*, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERY), 1976-77

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1976–77 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following Supplementary Demands for Grants (Pondicherry) for the year 1976-77 were put & adopted.

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
4	न्याय प्रशासन . . .	1,05,000	..
6	राजस्व	8,74,000	..
7	बिक्री कर	7,000	..
8	वाहनों पर कर . . .	11,000	..
10	जिला प्रशासन . . .	..	7,17,000
14	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	1,49,000	..
16	सेवा निवृत्ति लाभ . . .	2,99,000	..
17	लोक निर्माण	32,91,000	10,06,000
18	शिक्षा	7,56,000	..
19	चिकित्सा	17,55,000	..
20	सूचना और प्रचार . . .	3,35,000	..
23	सहकारिता	..	4,90,000
27	मीन उद्योग	..	85,000
28	सामुदायिक विकास . . .	20,000	..
31	बिजली	4,02,000	32,63,000
32	पत्तन और कनहारी . . .	3,000	49,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पांडिचेरी (विनियोग) विधेयक, 1977
PONDICHRRY APPROPRIATION BILL, 1977.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधयक पर विचार किया जाये । "

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़े गये ।

Clauses 2 and 3, the schedule, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : सभा कल म० पू० 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 31 मार्च, 1977/10 चैत्र, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourn till Eleven of the Clock on Thursday, March 31, 1977 Chaitra 10, 1899 (S).